क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण

(प्रचालनात्मक दिशा-निर्देश)

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

एफ. सं. के-14014/1/2013-यूपीए
भारत सरकार
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
(यूपीए प्रभाग)

निमार्ण भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 13 दिसम्बर, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय: राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के अंतर्गत क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के लिए प्रचालनात्मक दिशा-निर्देश।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के लिए दिशा-निर्देश दिनांक 24 सितंबर,2013 के का. ज्ञा. सं. के-14011/1/2013-यूपीए के तहत जारी किए जा चुके हैं।

2. एनयूएलएम के घटक क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के लिए प्रचालनात्मक दिशा-निर्देश संलग्न हैं, जिनका अनुपालन सभी कार्यान्वयन एजेंसियां करेंगी। ये दिशा-निर्देश आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिए गए हैं तथा इसे http://mhupa.gov.in/NULM_Mission/NULM_Mission.htm. से प्राप्त किया जा सकता है।

3. इसे माननीय आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री, भारत सरकार के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हस्ता./-
(बी.के. अग्रवाल)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

विषय सूची

उद्देश्य..1

राष्ट्रीय आजीविका मिशन के क्रियान्वयन की रुपरेखा का अवलोकन 2

राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासिनक तथा क्रियान्वयन संरचना...3

राज्य स्तर पर प्रशासनिक एवं क्रियान्वयन संरचना 4

नगर स्तर पर प्रशासनिक एवं क्रियान्वयन संरचना...5

मिशन प्रबंधन इकाईयों के तकनीकी विशेषज्ञों की भर्ती प्रक्रिया और क्षमता प्रदर्शन का प्रबंधन.......................6

राष्ट्रीय, राज्य व नगर स्तर पर मिशन प्रबंधन इकाइयों हेतु प्रशिक्षण एवं अन्य क्षमता निर्माण सहयोग...............7

वित्त पोषण व्यवस्था..8

संलग्नक I – राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन इकाई के स्तर पर पदासीन किए जाने वाले तकनीकी विशेषज्ञों का विवरण

संलग्नक II – बड़े एवं छोटे राज्यों की सूची

संलग्नक III – राज्य मिशन प्रबंधन इकाई स्तर पर पदासीन किए जाने वाले तकनीकी विशेषज्ञों का विस्तृत विवरण

संलग्नक IV – तकनीकी विशेषज्ञों (सलाहकारों) हेतु आदर्श अनुबंध का प्रारूप

संलग्नक V – नगरीय मिशन प्रबंधन इकाई स्तर पर पदासीन किए जाने वाले तकनीकी विशेषज्ञों का विस्तृत विवरण

संलग्नक VI – राष्ट्रीय राज्य और नगर स्तर पर मिशन प्रबंधन इकाई के गठन हेतु एजेंसी के चयन करने की रूपरेखा

संलग्नक VII – राष्ट्रीय राज्य व नगर स्तर पर मिशन प्रबंधन इकाईयों हेतु प्रशिक्षण एवं अन्य क्षमता निर्माण सम्बन्धी सहायता उपलब्ध कराने वाली प्रशिक्षण एजेंसियों को नियुक्त किये जाने की रूपरेखा

1. उद्देश्य

1.1 क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण (सीबी एंड टी) घटक के प्रमुख ध्येय हैं:

(क) क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य, शहरी गरीबी उपशमन के प्रभारी आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय और राज्य एजेंसियों की भूमिका को शहरी गरीबी उपशमन के परिप्रेक्ष्य में उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकी सहायता प्रदाताओं के रूप में परिवर्तित करना है।

(ख) राष्ट्रीय, राज्य व नगर स्तर पर एनयूएलएम के सक्षम क्रियान्वयन हेतु सुदृढ़ सांस्थानिक संरचनाओं का निर्माण करना।

(ग) एनयूएलएम के कार्यान्वयन में शामिल शहरी गरीबों सहित उनकी संस्थाओं तथा तंत्र की क्षमता का निर्माण करना।

2. राष्ट्रीय आजीविका मिशन के क्रियान्वयन की रुपरेखा का अवलोकन

2.1 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जो कि आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है, का उद्देश्य गरीबों की सुदृढ़ आधारभूत बुनियादी संस्थाओं के माध्यम से शहरी गरीब परिवारों की गरीबी एवं विषमताओं को, लाभकारी स्वरोजगारों तथा कुशल पारिश्रमिक रोजगार के अवसरों तक पहुँच को सुलभ बनाकर उनकी आजीविका में उल्लेखनीय रूप से स्थायी सुधार करना है: एनयूएलएम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यनीतियाँ अपनाई जायेंगी।

(क) उभरती शहरी अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ते बाजारों द्वारा उपलब्ध कराये गए रोजगार अवसरों तक पहुँच बनाने हेतु कौशल निर्माण।

(ख) शहरी गरीबों को (शहरी पथ विक्रेताओं सहित) स्व और समूह सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना हेतु प्रशिक्षण एवं सहायता।

(ग) शहरी गरीबों और उनकी संस्थाओं (जैसे कि स्व सहायता समूहों और उनके संघों) तथा आजीविका विकास और गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में शामिल तंत्र की क्षमता बनाना।

(घ) बेघर शहरी जनसँख्या हेतु 24 घंटे खुले रहने वाले आश्रयालयों की उपलब्धता एवं उन तक उनकी पहुँच सुनिश्चित करना।

(ङ) शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता।

2 .2 कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु एनयूएलएम की एक त्रिस्तरीय (राष्ट्रीय,राज्य व नगर स्तर पर) अन्योनाश्रित व्यवस्था होगी। एनयूएलएम के ये तीनों स्तर एक दूसरे से जुड़े होंगे और घनिष्ठ रूप

से गरीबों की स्थायी आजीविका के संवर्धन के एक ऐसे सामान्य उद्देश्य से निर्देशित होंगे जिसका लक्ष्य शहरी गरीबी का उन्मूलन एवं शहरी गरीबों का सशक्तिकरण करना होगा।

3. राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासन तथा क्रियान्वयन संरचना

3.1 राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की स्थापना उपयुक्त विधि के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी के रूप में की जाएगी। एनयूएलएम के क्रियान्वयन के समस्त पहलुओं की देखभाल हेतु भारत सरकार द्वारा एक मिशन निदेशक की नियुक्ति की जाएगी। एनयूएलएम के क्रियान्वयन एवं निगरानी में मिशन निदेशक को सहायता प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर एक समर्पित सहायक दल से युक्त एक राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन इकाई की स्थापना की जाएगी।

3.2 राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन इकाई में विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि सामाजिक प्रेरणा और संस्था विकास, सामाजिक अवसंरचना, कौशल एवं आजीविका, वित्तीय समावेशन तथा सूक्ष्म उद्यम, बेघरों के लिए आवास, वित्त, प्रबंधन सूचना प्रणाली, निगरानी एवं मूल्यांकन, मानव संसाधन, सूचना एवं संचार प्रबंधन आदि से सम्बंधित 10 तकनीकी विशेषज्ञ होंगे। राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन इकाई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों नगरीय निकायों के साथ प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करेगी और उन्हें निर्देश तथा निकट सहयोग प्रदान करेगा। राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन इकाई स्तर में शामिल होने वाले तकनीकी विशेषज्ञों के पदाधिकारियों की सूची एवं विचारार्थ - विषय **संलग्नक I** में दी गयी है।

3.3 राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन इकाई के निम्नलिखित कार्य होंगे किंतु ये मात्र इन्हीं तक ही सीमित नहीं होंगे:

(क) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का क्रियान्वयन और निगरानी।

(ख) राज्य सरकारों को राज्य मिशन प्रबंधन इकाइयों की स्थापना हेतु सहायता प्रदान करना।

(ग) राज्यों को शहरी गरीबी उपशमन कार्यनीति एवं आजीविका विकास योजनाओं तथा अन्य गरीबोन्मुखी कार्यक्रमों को तैयार करने में सहायता प्रदान करना।

(घ) राष्ट्रीय आजीविका मिशन के किसी विशेष घटक हेतु व्यावसायिक एवं तकनीकी जानकारी (इनपुट) प्रदान कराना।

(ड़) अभिसारी कार्रवाई के लिए क्षेत्रों का पता लगाने हेतु अन्य मिशनों/मंत्रालयों/विभागों तथा उद्योग संगठनों से सम्बन्ध स्थापित करना:

(च) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन तथा राज्य शहरी आजीविका मिशन के मध्य संपर्क-सूत्रों की सुविधा उपलब्ध कराना।

(छ) शहरी गरीबी से जुड़े मुद्दों का अध्ययन करना/शुरू करना और उनके निष्कर्षों का प्रसार करना।

(ज) देश-भर में सर्वोत्तम पद्धतियों का अध्ययन करना और अन्य भागों में उनके सम-प्रतिरूपों को सहायता प्रदान कराना।

(झ) क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण मॉड्यूलों के विकास हेतु सहयोग प्रदान करना।

(ञ) राज्य एवं नगर स्तर पर व्यापक निगरानी और शिक्षण प्रणालियों को प्रोत्साहन देना।

(ट) ऐसे राष्ट्रीय संसाधन स्रोत के रूप में कार्य करना जो सर्वोत्तम पद्धतियों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध करा सके और शहरी गरीबी, मलिन बस्तियों तथा आजीविका आदि से सम्बंधित आंकड़े प्रदान करा सके।

(ठ) राज्यों/शहरों को क्षमता निर्माण हेतु सहायता प्रदान करने के लिए संसाधन केन्द्रों/संस्थानों के राष्ट्रीय तंत्र (नेटवर्क) के साथ मिलकर कार्य करना।

(ड) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के क्रियान्वयन में शामिल प्रमुख सरकारी कर्मियों सहित राज्य मिशन प्रबंधन इकाई व नगरीय मिशन प्रबंधन इकाई आदि स्तरों पर तकनीकी विशेषज्ञों हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना।

3.4 क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण की कुल लागत, राष्ट्रीय, राज्य व नगर स्तर पर मिशन प्रबंधन इकाइयों को प्रदान की गयी तकनीकी, क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण सहायता को मिलाकर, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत 12 प्रतिशत से अधिक आवंटन नहीं होगा।

4. राज्य स्तर पर प्रशासन एवं क्रियान्वयन संरचना

4.1 प्रत्येक राज्य/संघ-शासित प्रदेश में एनयूएलएम के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी एक पंजीकृत संस्था के रूप में राज्य शहरी आजीविका मिशन (एसयूएलएम) को स्थापित किया जायेगा: राज्य अथवा संघ-शासित प्रदेश, पहले से ही गरीबी उपशमन तथा आजीविका संवर्धन के क्षेत्र में कार्यरत किसी स्वायत्त निकाय को राज्य शहरी आजीविका मिशन के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। राज्य शहरी आजीविका मिशन का प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त राज्य मिशन निदेशक के माध्यम से किया जायेगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार, वित्त एवं लेखा, स्थापना सम्बन्धी मामलों और ऐसे ही अन्य सहायक कार्यों में मिशन निदेशक को सहायता प्रदान करने लिए आवश्यक सरकारी अधिकारियों को भी नियुक्त करेगी।

4.2 राज्य/संघ-शासित प्रदेशों में एनयूएलएम के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए राज्य शहरी आजीविका मिशन (एसयूएलएम) के राज्य मिशन निदेशक की सहायता हेतु राज्य मिशन प्रबंधन इकाई (एसयूएलएम) के रूप में समर्पित कर्मियों का एक दल स्थापित किया जायेगा। इस इकाई का वित्तीय - पोषण एनयूएलएम द्वारा किया जायेगा।

4.3 राज्य मिशन प्रबंधन इकाई में विभिन्न क्षेत्रों, जैसे कि गरीबी उप–शमन, सामाजिक संग्रहन, आजीविका संवर्धन, वित्तीय समावेशन और मानव संसाधन आदि के तकनीकी विशेषज्ञ होंगे।

4.4 राज्य मिशन प्रबंधन इकाई के स्तर पर बडे राज्यों हेतु अधिकतम 6 और छोटे राज्यों हेतु 4 तकनीकी विशेषज्ञों के लिए एनयूएलएम के अंतर्गत धन उपलब्ध कराया जायेगा। बडे व छोटे राज्यों की सूची **संलग्नक II** में दी गयी है। एसएमएमयू में शामिल किये जाने वाले तकनीकी विशेषज्ञों के पदों की सूची और विचारार्थ - विषय **संलग्नक III** में दी गयी है। तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति से सम्बंधित आदर्श अनुबंध का प्रारूप **संलग्नक IV** में प्रदान किया गया है।

4.5 उन मामलों में जहाँ एसएमएमयू के निर्धारित पदों को भरा न जा सका हो, वहाँ इन पदों पर सरकारी कर्मचारियों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर ही प्रतिनियुक्त किया जा सकता है:

(क) अधिकारी को अवश्य ही पद हेतु आवश्यक समस्त पात्रता के मानदंडों को पूरा करना चाहिए।

(ख) पदों पर नियुक्ति अस्थायी और केवल तब तक के लिए ही होगी जब तक कि उपयुक्त एवं योग्य अभ्यर्थी न मिले।

(ग) वेतन और भत्तों के भुगतान को एनयूएलएम के मानकों के अनुसार ही सीमित किया जायेगा और इस मद में किया गया कोई भी अतिरिक्त भुगतान राज्य सरकारों द्वारा स्वयं वहन किया जाना होगा।

4.6 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन द्वारा राज्य मिशन प्रबंधन इकाई की लागतों को 5 वर्षों तक ही वहन किया जायेगा, इस दौरान ही राज्यों को अपनी आंतरिक क्षमताओं का निर्माण करना होगा जिसके तत्पश्चात वे स्वयं शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर सकें।

4.7 राज्य मिशन प्रबंधन इकाई के निम्नलिखित उत्तरदायित्व होंगे किन्तु ये मात्र इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे:

(क) स्थानीय नगरीय निकायों के माध्यम से राज्य में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के क्रियान्वयन में सहायता करना।

(ख) नगर स्तर पर नगरीय मिशन प्रबंधन इकाईयों की स्थापना हेतु सहायता प्रदान करना।

(ग) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के विशिष्ट घटकों हेतु व्यावसायिक एवं तकनीकी निवेश उपलब्ध कराना।

(घ) राज्य के लिए शहरी गरीबी कम करने की रणनीति और आजीविका विकास योजना तैयार करना।

(ड़) शहरों को नगरीय आजीविका विकास योजनाएं तैयार करने में सहायता प्रदान करना।

(च) राज्य में अन्य मिशनों तथा कार्यक्रमों के साथ समन्वय करना और समाभिरूपता विकसित करना।

(छ) एसएमएमयू और सीएमएमयू स्तरों पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के कार्यान्वयन में शामिल प्रमुख सरकारी कर्मचारियों सहित तकनीकी विशेषज्ञों के लिए राज्य स्तरीय क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, गोष्ठियों (सेमिनार) और अंतरशिक्षण दौरों (क्रॉस लर्निंग विजिट) आदि का आयोजन करना।

(ज) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के क्रियान्वयन की प्रगति और प्रक्रिया के साथ साथ सर्वोत्तम पद्धतियों के दस्तावेज तैयार करना।

(झ) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के प्रभाव के मूल्यांकन हेतु अध्ययन शुरू करना अथवा अध्ययन शुरू करना।

(ण) राज्य स्तर पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के क्रियान्वयन में सहायता करने के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, केंद्र सरकार, बैंकों और ऐसे संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करना।

5. नगर स्तर पर प्रशासन एवं क्रियान्वयन संरचना

5.1 नगर स्तर पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की गतिविधियों का कार्यान्वयन स्थानीय नगरीय निकायों के माध्यम से किया जायेगा। राज्य सरकार अथवा नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त नगर परियोजना अधिकारी की अध्यक्षता में नगरीय मिशन प्रबंधन इकाई बनाई जायेगी।

5.2 नगरीय मिशन प्रबंधन इकाई में एनयूएलएम द्वारा वित्त – पोषित विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि सामाजिक संगठन और संस्था विकास, कौशल एवं क्षमता निर्माण, आजीविका तथा सूक्ष्म उद्यम, सूक्ष्म वित्त आदि के तकनीकी विशेषज्ञ होंगे। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार/ नगरीय स्थानीय निकाय, वित्त एवं लेखा, स्थापना सम्बन्धी मामलों और ऐसे ही अन्य सहायक सेवाओं से डील करने के लिए अन्य अधिकारियों को भी नियुक्त करेगी।

5.3 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों हेतु अधिकतम 4 तकनीकी विशेषज्ञों के लिए 3–5 लाख तक की आबादी वाले शहरों में 3 तकनीकी विशेषज्ञों के लिए और 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों हेतु 2 तकनीकी विशेषज्ञों के लिए एनयूएलएम के अंतर्गत धन उपलब्ध कराया जायेगा।

5.4 शहर में सामुदायिक आयोजकों की भी नियुक्ति की जाएगी। प्रत्येक सामुदायिक आयोजक कम से कम 3000 शहरी गरीब परिवारों को कवर करेगा। सामुदायिक आयोजकों की भर्ती शहर की आवश्यकताओं एवं धन की उपलब्धता के अनुरूप ही की जानी चाहिये। तथापि, एनयूएलएम के

तहत शामिल प्रत्येक शहर में कम से कम एक सामुदायिक आयोजक की नियुक्ति की जानी चाहिये। नगरीय मिशन प्रबंधन इकाई के स्तर पर तकनीकी विशेषज्ञों एवं सामुदायिक आयोजकों के पदों व विचारार्थ विषयों की सूची **संलग्नक V** में प्रदर्शित की गयी है।

5.5 उन मामलों में जहाँ सीएमएमयू के निर्धारित पदों को भरा न जा सका हो, वहाँ इन पदों को भरने के लिए सरकारी कर्मचारियों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रतिनियुक्त किया जा सकता है

(क) अधिकारी पद हेतु आवश्यक समस्त पात्रता मानदंडों को पूर्ण करना चाहिए।

(ख) पदों पर नियुक्ति अस्थायी और केवल तब तक के लिए ही होगी जब तक कि उपयुक्त एवं योग्य अभ्यर्थी न मिले।

(ग) वेतन और भत्तों का भुगतान एनयूएलएम के अंतर्गत मानदंडों के अनुसार किया जायेगा और इस मद में किया जाने वाला कोई भी अतिरिक्त भुगतान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

5.6 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन द्वारा नगरीय मिशन प्रबंधन इकाई को उपलब्ध करायी जाने वाली वित्तीय मदद केवल 5 वर्षों तक के लिए ही सीमित होगी इस दौरान शहरों को अपनी आंतरिक क्षमताओं का निर्माण करना चाहिए ताकि इसके पश्चात वे स्वयं शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन कर सकें।

6. मिशन प्रबंधन इकाईयों के तकनीकी विशेषज्ञों की भर्ती प्रक्रिया और कार्य निष्पादन का प्रबंधन

6.1 **तकनीकी विशेषज्ञों की भूमिका:** समस्त मिशन प्रबंधन इकाईयों द्वारा तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं भाड़े पर ली जायेंगी ताकि वे सम्बंधित विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों से जुडी ज्ञान सामग्री और सहयोग प्रदान कर सकें जिससे मिशन निदेशक द्वारा राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर राज्य मिशन निदेशक तथा नगर परियोजना अधिकारी द्वारा नगर स्तर पर योजना का प्रभावी एवं कुशल कार्यान्वयन किया जा सके। ये तकनीकी विशेषज्ञ अपने-अपने क्षेत्र विशिष्ट की जानकारियां उपलब्ध कराने वाले प्रमुख व्यक्ति होंगे। सभी स्तरों पर तकनीकी विशेषज्ञ सम्बंधित मिशन प्रबंधन इकाई के प्रभारी नियमित सरकारी अधिकारियों को रिपोर्ट करेंगे।

6.2 **भर्ती की विधि:** एसएमएमयू और सीएमएमयू के लिए आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञों की भर्ती खुले विज्ञापन के माध्यम से की जा सकती है, राज्यों को यह सलाह दी जाती है कि वे एसएमएमयू और सीएमएमयू के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की भर्ती हेतु सख्त प्रक्रिया का अनुपालन करें। इस प्रक्रिया में खुले विज्ञापनों (समाचार पत्रों, जॉब पोर्टलों आदि) के माध्यम से आवेदन मंगवाना, निर्धारित मानदण्डों के आधार पर उपयुक्त आवेदनों की जांच करना, लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन किए

गए अभ्यर्थियों की शार्ट लिस्ट तैयार करना तथा व्यक्तिगत साक्षात्कार जैसे विभिन्न चरण शामिल किये जा सकते हैं। राज्य सरकार एसएमएमयू और सीएमएमयू हेतु तकनीकी विशेषज्ञों के अनुवीक्षण (स्क्रीनिंग) एवं चयन के लिए राज्य मिशन निदेशक की अध्यक्षता में एक चयन समिति को नियुक्त कर सकती है। हूपा मंत्रालय का एक प्रतिनिधि भी राज्य द्वारा गठित इस चयन समिति का एक सदस्य होगा।

6.3 **एनएमएमयू/एसएमएमयू/सीएमएमयू के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध कराने वाली एजेंसी/संगठन का चयन:** राष्ट्रीय स्तर पर एनएमएमयू में तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी वाह्य एजेंसी अथवा संगठन को नियुक्त किये जाने के विकल्प पर विचार किया जाएगा, इसी प्रकार, राज्य भी यदि यह समझते हैं कि राज्य/नगर विशेष की परिस्थितियों के अनुरूप यही विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त होगा तो वे एसएमएमयू और सीएमएमयू में तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी बाह्य एजेंसी अथवा संगठन को नियुक्त कर सकते हैं। संसाधन एजेंसी के चयन सम्बन्धी ढांचे की रूपरेखा **संलग्नक VI** में प्रदर्शित की गई है।

6.4 **क्षतिपूर्ति एवं भत्ते**

(क) खुले बाजार के उपयुक्त अनुभव वाले सर्वश्रेष्ठ प्रतिभावान व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए पद हेतु अनुभव व शैक्षिक योग्यताओं के निर्धारित मानदंडों को पूर्ण करने वाले तकनीकी विशेषज्ञों को राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्ति के लिए अधिकतम 1 लाख रुपये प्रति माह का समेकित पारिश्रमिक दिया जायेगा।

(ख) एसएमएमयू स्तर पर नियुक्त तकनीकी विशेषज्ञों को अधिकतम 75000 रुपये प्रति माह और सीएमएमयू स्तर पर इन्हें अधिकतम 60000 रूपये प्रति माह पारिश्रमिक दिया जायेगा।

(ग) नगर स्तर पर सामुदायिक आयोजकों को अधिकतम 10 हजार रूपये प्रति माह का पारिश्रमिक दिया जायेगा।

(घ) यह पारिश्रमिक दिए जाने की अधिकतम सीमाएं हैं, तथापि राज्य/नगरों द्वारा प्रचलित बाजारीय स्थितियों के अनुरूप कम राशि का भी भुगतान किया जा सकता है।

(ड़) एनएमएमयू/एसएमएमयू/सीएमएमयू स्तर पर तकनीकी विशेषज्ञों को दिए जाने वाले वेतन का कुल वेतन का अधिकतम 40 प्रतिशत ही उनके टी.ए./डी.ए. व्यय, कार्यालयी सहयोग (जैसे कि लेखाकार, डाटा एंट्री ऑपरेटर, विविध कार्य अधिकारियों आदि) पर खर्च किया जा सकता है। तकनीकी विशेषज्ञों की आधिकारिक यात्राओं के टी.ए./डी.ए. आवास एवं भोजन सम्बन्धी भत्तों की दरों का निर्धारण मिशन प्रबंधन इकाईयों द्वारा किया जायेगा।

(च) यदि आवश्यक हो तो दो वर्ष पश्चात तकनीकी विशेषज्ञों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक और भत्तों का पुनरीक्षण किया जायेगा और उस समय पर प्रचलित बाजार दशाओं के अनुरूप उसमें उपयुक्त रूप से संशोधन किया जा सकेगा जोकि अधिकतम उनके वेतन का 10 प्रतिशत तक हो सकता है।

6.5 **तकनीकी विशेषज्ञों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन।**

(क) सफलतापूर्वक भर्ती किए गए सभी तकनीकी विशेषज्ञों को प्रारंभिक तौर पर दो वर्षों के अनुबंध पर रखा जायेगा जिसमें कार्यभार ग्रहण करने के दिन से छः माह तक की अवधि का परिवीक्षा काल भी शामिल है। यदि परिवीक्षा काल के दौरान कार्य-निष्पादन संतोषजनक न हो तो सम्बंधित सक्षम प्राधिकारी उपयुक्त कार्रवाई कर सकता है जिसके तहत न्यूनतम एक माह का नोटिस देकर तकनीकी विशेषज्ञ की सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(ख) दो वर्षो की अवधि के अंत में सभी मिशन प्रबंधन इकाईयों में तकनीकी विशेषज्ञों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की जाएगी जो कि उनको सौंपे गए प्रमुख दायित्वों तथा उनके सम्बंधित रिपोर्टिंग अधिकारियों की (राष्ट्रीय स्तर पर मिशन निदेशक, राज्य स्तर पर राज्य मिशन निदेशक और नगर स्तर पर नगर परियोजना अधिकारी) वार्षिक कार्य योजना के सापेक्ष मूल्यांकन पर आधारित होगी। संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर ही ये तकनीकी विशेषज्ञ अपने अनुबंध के नवीनीकरण के लिए पात्र हो सकते हैं।

6.6 **तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाओं की समाप्तिः** विश्वास भंग/गंभीर कदाचार और राज्य शहरी आजीविका मिशन/स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा निर्दिष्ट व्यक्तिगत नीति के अच्छा कार्य निष्पादन न करने के आधार पर तकनीकी विशेषज्ञों को एक माह की नोटिस अवधि का पारिश्रमिक देकर तत्काल बर्खास्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में उपयुक्त व शर्तों को अनुबंध पत्र में शामिल किया जा सकता है।

7. राष्ट्रीय, राज्य व नगर स्तर पर मिशन प्रबंधन इकाइयों हेतु प्रशिक्षण एवं अन्य क्षमता निर्माण सहायताः

7.1 राष्ट्रीय, राज्य व नगर स्तर पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के कार्यान्वयन हेतु यथासमय गुणवत्तायुक्त तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रशिक्षण, समुदाय से समुदाय शिक्षण अथवा विषय-परिचायन दौरे (एक्सपोजर विजिट) जैसे माध्यमों की मदद से मिशन प्रबंधन इकाईयों में उच्च गुणवत्ता वाले तकनीकी विशेषज्ञों दलों का निर्माण किया जाये।

7.2 राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर उपयुक्त संस्थाओं की पहचान कर उन्हें नियुक्त करना और उनके साथ अनुबंध करके मिशन प्रबंधन इकाईयों को क्षमता निर्माण जानकारी (इनपुट) उपलब्ध कराना।

क्षमता निर्माण की जानकारियों के अंतर्गत, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में लगे हुए मिशन प्रबंधन इकाईयों के समस्त हितधारकों सहित सामुदायिक संगठनकर्त्ताओं और संसाधन संगठनों हेतु प्रशिक्षण प्रेरण तथा उन्मुखीकरण, विषय-परिचायन व शिक्षण दौरों आदि को शामिल किया जा सकता है।

7.3 संस्थाओं/संसाधन एजेंसी का चयन क्षेत्र विशिष्ट की विशेषज्ञता और विषयगत क्षेत्रों जैसे कि शहरी गरीबी उपशमन, कौशलों व आजीविका, सामाजिक विकास और समाभिरूपता, सामुदायिक संग्रहण, ऋण, विपणन, प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान, सामाजिक लेखा-परीक्षा प्रबंधन सूचना परीक्षा प्रणाली आदि में अनुभव के आधार पर किया जायेगा। साधन स्रोत व्यक्तियों के आवश्यक दल का अनुरक्षण संसाधन एजेंसियों द्वारा किया जाएगा।

7.4 यदि आवश्यक हो, तो संसाधन संस्थाओं/एजेंसियों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन इकाई और राज्य मिशन प्रबंधन इकाई के स्टाफ को भी शामिल किया जाये।

7.5 राज्य मिशन प्रबंधन इकाईयां प्रशिक्षण की प्रभावोत्पदाक्ता एवं गुणवत्ता की निगरानी भी करेंगी।

7.6 राष्ट्रीय, राज्य व नगर स्तर पर मिशन प्रबंधन इकाईयों को प्रदान किये जाने वाले प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण सहायता कार्यक्रम की रूपरेखा **संलग्नक VII** में दी गयी है।

8. वित्त-पोषण पैटर्न

8.1 वित्त-पोषण पैटर्न के तहत सामान्यत: केंद्र तथा राज्यों की भागीदारी 75:25 के अनुपात में होगी तथापि विशेष श्रेणी के राज्यों (असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड) के मामले में यह भागीदारी 90:10 अनुपात में होगी।

8.2 एनयूएलएम के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित कुल धनराशि में से क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण हेतु 12 प्रतिशत से अधिक व्यय नहीं होना चाहिए। हूपा मंत्रालय राज्यों द्वारा किए गए वास्तविक व्यय को ध्यान में रखते हुये राज्यों में नियुक्त किये जाने वाले तकनीकी विशेषज्ञों की कुल संख्या में कमी कर सकता है जिससे इस घटक के तहत किया जाने वाला व्यय राज्य में मिशन के अन्य घटकों पर किये जाने वाले व्यय की तुलना में असंगत रूप से अधिक न हो:

8.3 यदि राज्य और/अथवा नगर स्तर पर विशिष्ट जरूरतों से संबंधित कार्यों के लिए अतिरिक्त तकनीकी विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी तो राज्य सरकार राज्य शहरी आजीविका मिशन व स्थानीय नगरीय निकायों को उनके पारिश्रमिक सम्बन्धी व्ययों की पूर्ति हेतु अतिरिक्त धन उपलब्ध कराएगी।

संलग्नक I

राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन इकाई के स्तर पर पदासीन किए जाने वाले तकनीकी विशेषज्ञों का विवरण

राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन इकाई में राष्ट्रीय स्तर पर 10 तकनीकी विशेषज्ञ होंगे। एन.एम.एम.यू. स्तर पर पदों का विवरण निम्नलिखित है:

1. राष्ट्रीय स्तर (दस सदस्यीय दल)

क्रम	विवरण	पदों की संख्या
1	राष्ट्रीय मिशन प्रबंधक - सामाजिक संग्रहण और संस्था विकास	3
2	राष्ट्रीय मिशन प्रबंधक - कौशल एवं आजीविका	3
3	राष्ट्रीय मिशन प्रबंधक - वित्तीय समावेशन और सूक्ष्म उद्यम	1
4	राष्ट्रीय मिशन प्रबंधक - मानव संसाधन और क्षमता निर्माण	1
5	राष्ट्रीय मिशन प्रबंधक - प्रबंधन सूचना प्रणाली तथा निगरानी और मूल्यांकन	1
6	राष्ट्रीय मिशन प्रबंधक - संचार एवं ज्ञान प्रबंधन	1
	कुल	10

राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन इकाई के पदों हेतु विचारार्थ विषय।

1. कार्य-क्षेत्र

उपर्युक्त पदों पर चयनित व्यक्ति, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के निदेशक को एनयूएलएम से सम्बंधित घटकों की संकल्पना तैयार करने में और उनके संचालन में सहायता प्रदान करेंगे। प्रारंभिक तौर पर इस पद पर यह नियुक्ति दो वर्षों हेतु संविदात्मक आधार पर होगी। अनुबंध का नवीकरण हर दो वर्ष बाद कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन के आधार पर किया जायेगा। पदाधिकारी सीधे एनयूएलएम के मिशन निदेशक को रिपोर्ट करेगा। वह राज्य में एनयूएलएम के सम्बंधित घटक के प्रति उत्तरदायी टीम के साथ मिलकर घनिष्ठतापूर्वक कार्य करेगा और उन्हें सहयोग प्रदान करेगा। ऐसे व्यक्ति को एनयूएलएम का कार्यान्वयन कर रहे राज्यों में व्यापक यात्राएं करने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे व्यक्ति को हिंदी और अंग्रेजी, दोनों ही भाषाओं में लिखने और बोलने पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होने पर उस पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा।

II. शैक्षिक योग्यता, अनुभव और क्षमताएं

क्र.सं.	स्थिति	शैक्षिक योग्यता	अनुभव का विवरण	क्षमताएं
1	राष्ट्रीय मिशन प्रबंधक-सामालिक संगठन और संस्था विकास	सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्रबंधन/एमबीए में 2 वर्ष का पूर्ण कालिक स्नातकोत्तर डिप्लोमा अथवा कार्य की भूमिका और उत्तरदायित्वों से संबंधित किसी अन्य क्षेत्र में स्नात्कोत्तर डिग्री	पर्याप्त आकार और मात्रा के गरीबी उपशमन कार्यक्रम सहित सामाजिक विकास कार्य में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव	व्यक्ति एमएस ऑफिस में दक्ष होना चाहिए; उसे भागीदारी प्रबंधन में क्षमता; मज़बूत विश्लेषणात्मक, विचारात्मक और कार्यनीतिक सोच कौशल; बड़े आकार की आयोजना करने की सक्षमता; एमआईएस देखने आदि का ज्ञान होना चाहिए। सरकारी संस्थानों में कार्य अनुभव वाले व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी।
2	राष्ट्रीय मिशन प्रबंधक-कौशल और प्रशिक्षण		पर्याप्त आकार और मात्रा के गरीबी उपशमन कार्यक्रम सहित कौशल प्रशिक्षण और नियोजन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव	
3	राष्ट्रीय मिशन प्रबंधक-वित्तीय समावेशन एवं माइक्रो उद्यम		क्रेडिट लिंकेज, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कार्य और/अथवा गरीबी उपशमन कार्यक्रमों/वित्तीय संस्थानों में माइक्रो उद्यम उन्नयन में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव	
4	राष्ट्रीय मिशन प्रबंधक-एचआर एवं क्षमता निर्माण		राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय परियोजनाओं सहित स्टाफ भर्ती, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव	व्यक्ति को उपर्युक्त क्षमताओं के अतिरिक्त ग्राहक प्रबंधन में क्षमताओं ; उत्तम वार्ता कौशल; बड़ी मात्रा में भर्ती कार्य देखने की सक्षमता; विषय आधारित क्षमता निर्माण कार्यनीति और मॉडयूल्स के विकास आदि का ज्ञान होना चाहिए।
5	राष्ट्रीय मिशन प्रबंधक-एमआईएस एंड एमई	सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से 2 वर्ष का पूर्ण कालिक स्नातकोत्तर डिप्लोमा/कम्प्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री, एमएससी (कम्प्यूटर साइंस), बीटेक (कम्प्यूटर साइंस); अथवा एमसीए	बड़ी विकास परियोजनाओं अधिमानतः गरीबी उपशमन परियोजना के लिए एमआईएस और एमई के डिजाइनिंग तथा कार्यान्वयन में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव और डाटा विश्लेषण तकनीक की पूर्ण समझ।	व्यक्ति का उपर्युक्त क्षमताओं के अतिरिक्त बहुत अच्छा प्रलेखन कौशल होना चाहिए तथा उसे रिपोर्टें तयार करने; परियोजना प्रबंधन में दक्ष; डाटाबेस प्रबंधन प्रणालियों; वेबसाइट विकास और प्रबंधन में बहुत अच्छा होना चाहिए।
6	राष्ट्रीय मिशन प्रबंधक संचार और ज्ञान प्रबंधन	सरकार से मान्यता प्राप्त 2 वर्ष का पूर्ण कालिक स्नातकोत्तर डिप्लोमा अथवा संचार/पत्रकारिता/विकास संचार में मास्टर डिग्री अथवा कार्य की भूमिका और उत्तरदायित्व से संबंधित किसी अन्य विषय में डिग्री	राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय परियोजनाओं के लिए संचार और ज्ञान प्रबंधन के विकास में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव	व्यक्ति को उपर्युक्त क्षमताओं के अतिरिक्त प्रकाशन कौशल का ज्ञान होना चाहिए। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित करने वाले व्यक्तियों को वरीयता दी जायगी।

III. प्रमुख उत्तरदायित्ता के क्षेत्र

(क) राष्ट्रीय मिशन प्रबंधक-सामाजिक संग्रहण और संस्था विकास

i. इसका प्रमुख दायित्व एनयूएलएम के घटक सामाजिक संग्रहण और संस्था विकास, आश्रयालयों तथा सामाजिक बुनियादी ढांचे से जुड़े पहलुओं हेतु दिशानिर्देश तैयार करना और राज्यों हेतु उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना होगा।

ii. एनयूएलएम के घटक सामाजिक संग्रहण और संस्था विकास, आश्रयालयों तथा सामाजिक बुनियादी ढाँचे से जुड़े पहलुओं के कार्यान्वयन हेतु समग्र कार्य योजना का विकास करना।

iii. राज्यों हेतु एनयूएलएम द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करना।

iv. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एनयूएलएम के घटक सामाजिक संग्रहण और संस्था विकास के प्रति उत्तरदायी समूह को, सामुदायिक संग्रहण, स्व-सहायता समूहों और उनके परिसंघों, चल निधि (रिवॉल्विंग फण्ड), नगर आजीविका केन्द्रों, शहरी पथ विक्रेताओं और शहरी निराश्रितों हेतु आश्रय संघटकों आदि से सम्बंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना और उनका मार्गदर्शन करना।

v. राज्यों में एनयूएलएम के तहत स्व-सहायता समूहों और उनके संघों को बढ़ावा देने वाले संसाधन संगठनों की पहचान और नियुक्ति करना, नगर आजीविका केन्द्रों का संवर्धन करने वाले संगठनों की पहचान और नियुक्ति करना, पथ विक्रय बाजारों और शहरी निराश्रितों हेतु आश्रयालयों के प्रति उत्तरदायी टीम/समूह को सहायता प्रदान करना।

vi. समस्त राज्यों में स्व-सहायता समूहों, क्षेत्र-स्तरीय संघों तथा नगर स्तरीय संघों के संरचनात्मक स्थापनों की सुनिश्चितता हेतु राज्य टीम को सहायता प्रदान करना।

vii. जब आवश्यक हो, तब एसएमएमयू और सीएमएमयू स्टाफ हेतु आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लेना।

viii. राज्य मिशन प्रबंधन इकाइयों/नगर मिशन प्रबंधन इकाइयों के क्षमता निर्माण/सुग्राहीकरण में संलग्न संसाधन एजेंसियों को सहायता प्रदान करना; क्षमता निर्माण से जुड़े मॉड्यूलों के विकास का पर्यवेक्षण करना और जब तथा जैसी आवश्यकता हो, सामाजिक संग्रहण और सामाजिक अवस्थापना, शिक्षण-प्रतिशिक्षण आदि से सम्बंधित कार्यशालाओं की व्यवस्था भी इन्हें करनी होगी।

ix. एनयूएलएम के घटक सामाजिक संग्रहण और संस्था विकास, नगर आजीविका केन्द्रों, शहरी पथ विक्रेताओं, शहरी निराश्रितों से जुड़े प्रशिक्षण की गुणवत्ता को समय-समय पर मानीटर करना।

x. एसएमएमयू को आवश्यकता-आधारित तकनीकी सहायता उपलब्ध करना।

xi. एनयूएलएम के क्रियान्वयन की प्रासंगिक एजेंसियों/विभागों के साथ यथोचित सम्पर्कों की व्यवस्था करना और उनके साथ सामाजिक संग्रहण तथा सामाजिक अधोसंरचना से सम्बंधित कार्यसूची को एकीकृत करना।

xii. राज्य शहरी आजीविका मिशनों द्वारा घटक सामाजिक संग्रहण और संस्था विकास, आश्रयालओं तथा सामाजिक अवस्थापनाओं से सम्बंधित रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना।

xiii. एनयूएलएम के सफल क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर पदासीन अन्य राष्ट्रीय मिशन प्रबंधकों के साथ घनिष्ठतापूर्वक मिलकर कार्य करना।

xiv. एनयूएलएम की क्रियान्वयन हेतु निगरानी तथा राज्यों में भ्रमण करना और पर्यवेक्षण के प्रमुख तत्वों की आख्या प्रस्तुत करना।

xv. घटक सामाजिक संगठन से सम्बंधित रिपोर्ट/मिशन निदेशक को प्रस्तुत करना।

xvi. एनयूएलएम के मिशन निदेशक द्वारा सौंपे गए किसी भी अन्य सम्बंधित कार्य को पूरा करना।

(ख) राष्ट्रीय मिशन प्रबंधक-कौशल तथा आजीविका

i. राज्यों हेतु एनयूएलएम के घटक कौशल प्रशिक्षण तथा नियोजन के माध्यम से रोजगार (ईएसटी एंड पी) से सम्बंधित दिशा-निर्देशों को तैयार करना और उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना।

ii. एनयूएलएम के घटक ईएसटी एंड पी के क्रियान्वयन हेतु समग्र कार्य योजना तैयार करना।

iii. एनयूएलएम द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन में राज्यों की सहायता करना।

iv. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एनयूएलएम के घटक कौशल प्रशिक्षण तथा नियोजन के माध्यम से रोजगार (ईएसटी एंड पी) के प्रति उत्तरदायी दल को, कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं तथा प्रत्यायन और प्रमाणीकरण एजेंसियों की पहचान और उनका पैनल बनाने आदि से सम्बंधित उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सहायता प्रदान करना और उनका मार्गदर्शन करना।

v. जब आवश्यक हो तब एसएमएमयू और सीएमएमयू स्टाफ हेतु आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लेना।

vi. एनयूएलएम के घटक कौशल प्रशिक्षण तथा नियोजन के माध्यम से रोजगार (ईएसटी एंड पी) जुड़े प्रशिक्षण की गुणवत्ता को समय-समय पर मानीटर करना।

vii. एसएमएमयू को आवश्यकतानुसार तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी।

viii. उत्तरदायी सीएमएमयू के क्षमता निर्माण अथवा सुग्राहीकरण में संलग्न संसाधन एजेंसियों को सहायता प्रदान करना। वह क्षमता निर्माण से जुड़े मॉड्यूलों के विकास का निरीक्षण करना और जब तथा जैसी आवश्यकता हो ईएसटी एंड पी से सम्बंधित शिक्षण-प्रतिशिक्षण कार्यशालाओं की व्यवस्था भी करेगा।

ix. एनयूएलएम के क्रियान्वयन में उद्योग संघों, कौशल विकास मिशन, क्षेत्रीय कौशल परिषदों, सम्बंधित विभागों, संसाधन संस्थानों तथा अन्य प्रासंगिक एजेंसियों के साथ उपयुक्त संपर्क सूत्रों की व्यवस्था करना और उनके साथ ईएसटी एंड पी से सम्बंधित कार्यसूची एकीकृत करना।

x. राज्य शहरी आजीविका मिशनों द्वारा घटक ईएसटी एंड पी से सम्बंधित रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना:

xi. एनयूएलएम के सफल क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर पदासीन अन्य मिशन प्रबंधकों के साथ घनिष्ठतापूर्वक मिलकर कार्य करना।

xii. एनयूएलएम क्रियान्वयन की निगरानी हेतु राज्यों में दौरे करना और प्रमुख प्रेक्षण प्रस्तुत करना।

xiii. मिशन निदेशक घटक ईएसटी एंड पी सम्बंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करना:

xiv. एनयूएलएम के मिशन निदेशक द्वारा सौंपे गए किसी भी अन्य सम्बंधित कार्य को पूरा करना।

(ग) राष्ट्रीय मिशन प्रबंधक -वित्तीय समावेशन और सूक्ष्म उद्यम

i. राज्यों हेतु एनयूएलएम के घटक सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन और स्वरोजगार कार्यक्रम (यूएफआई एंड पी) से सम्बंधित दिशा-निर्देशों को तैयार करना और उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना।

ii. एनयूएलएम के घटक सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन और स्वरोजगार कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु समग्र कार्य योजना तैयार करना।

iii. एनयूएलएम द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन में राज्यों की सहायता करना।

iv. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर एनयूएलएम के घटक सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन और स्वरोजगार कार्यक्रम (यूएफआई एंड एसईपी) के प्रति उत्तरदायी दल को स्व-सहायता दलों और इसके सदस्यों के लिए तथा शहरी गरीबों द्वारा सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना हेतु बैंक सम्पर्कों आदि उपलब्ध कराने से सम्बंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना और उनका मार्गदर्शन करना।

v. जब आवश्यक हो, तब एसएमएमयू और सीएमएमयू स्टाफ हेतु आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लेना।

vi. एनयूएलएम के घटक सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन (यूएफआई) और स्वरोजगार कार्यक्रम (एसईपी) से जुड़े प्रशिक्षण की गुणवत्ता को समय-समय पर मानीटर करना।

vii. एसएमएमयू को आवश्यकता आधारित तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।

viii. वह राज्य की अथवा विभिन्न राज्यों में स्थित नगरीय मिशन प्रबंधन इकाईयों का क्षमता निर्माण अथवा सुग्राहीकरण में संलग्न संसाधन एजेंसियों को सहायता प्रदान करना। क्षमता निर्माण से जुड़े मॉड्यूलों के विकास का निरीक्षण भी करेगा और जब तथा जैसी आवश्यकता हो, शहरी गरीबों और अन्य के आरए को वित्तीय साक्षरता प्रदान करने से सम्बंधित शिक्षण-प्रतिशिक्षण कार्यशालाओं की व्यवस्था करना।

ix. एनयूएलएम के क्रियान्वयन में सम्बंधित एजेंसियों/विभागों के साथ उपयुक्त संपर्क सूत्र स्थापित करना और सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन और स्वरोजगार कार्यक्रम (यूएफआई एंड एसईपी) से सम्बंधित कार्यसूची को उसके साथ एकीकृत करना।

x. राज्य शहरी आजीविका मिशनों द्वारा घटक सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन और स्वरोजगार कार्यक्रम (यूएफआई एंड एसईपी) से सम्बंधित रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना।

xi. एनयूएलएम के सफल क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर पदासीन अन्य मिशन प्रबंधकों के साथ घनिष्ठतापूर्वक मिलकर कार्य करना।

xii. घटक सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन और स्वरोजगार कार्यक्रम (यूएफआई एंड एसईपी) से सम्बंधित रिपोर्ट/आख्या मिशन निदेशक को प्रस्तुत करना।

xiii. एनयूएलएम के मिशन निदेशक द्वारा सौंपे गए किसी भी अन्य सम्बंधित कार्य को पूरा करना।

(घ) राष्ट्रीय मिशन प्रबंधक - प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) और निगरानी एवं मूल्यांकन (एमआईएस)

i. एनयूएलएम का क्रियान्वयन कर रहे राज्यों में प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) और निगरानी एवं मूल्यांकन (एमई) से सम्बंधित कार्ययोजना की व्यवस्था करना और उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना।

ii. एनयूएलएम के घटक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) और निगरानी एवं मूल्यांकन (एमई) के क्रियान्वयन हेतु समग्र कार्य योजना तैयार करना।

iii. राज्य स्तर पर प्रबंधन सूचना प्रणाली के उचित क्रियान्वयन की सुनिश्चितता हेतु राज्यों को सुविधा उपलब्ध कराना और समस्त नगरों से प्राप्त सूचनाओं का संकलन कर राष्ट्रीय स्तर पर उसको प्रस्तुत करना।

iv. एनयूएलएम की क्रियान्वयन हेतु निगरानी तथा राज्यों में क्षेत्रीय दौरे शुरू करना और इस स्कीम के वास्तविक समय की मानीटरिंग करना:

v. जब आवश्यक हो, तब एसएमएमयू और सीएमएमयू स्टाफ हेतु आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लेना।

vi. एसएमएमयू को आवश्यकता-आधारित तकनीकी सहायता उपलब्ध करना।

vii. प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) और निगरानी एवं मूल्यांकन (एम एंड ई) के क्रियान्वयन से जुड़ी राज्य मिशन प्रबंधन इकाईयों और नगर मिशन प्रबंधन इकाईयों के क्षमता निर्माण हेतु सहायता प्रदान करना। वह प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के क्षमता निर्माण से जुड़े मॉड्यूलों के विकास का निरीक्षण भी करेगा।

viii. राज्यों की पहुँच समस्त सूचनाओं, रिपोर्टिंग प्रणाली यथा बुनियादी अध्ययनों, प्रक्रियात्मक दस्तावेजों, मासिक प्रगति रिपोर्टों आदि तक सुनिश्चित करने हेतु सुविधा उपलब्ध कराना।

ix. एनयूएलएम के सफल क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर पदासीन अन्य मिशन प्रबंधकों के साथ घनिष्ठतापूर्वक मिलकर कार्य करना।

x. मिशन निदेशक एनयूएलएम को घटक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) और निगरानी एवं मूल्यांकन (एम एंड ई) से सम्बंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

xi. एनयूएलएम के मिशन निदेशक द्वारा सौंपे गए किसी भी अन्य सम्बंधित कार्य को पूरा करना।

(ड.) राष्ट्रीय मिशन प्रबंधक - मानव संसाधन तथा क्षमता निर्माण

i. इसका प्रमुख दायित्व एनयूएलएम के घटक मानव संसाधन और क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण से सम्बंधित दिशा-निर्देश तैयार करना और राज्यों हेतु उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना होगा।

ii. एनयूएलएम के घटक मानव संसाधन और क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण के कार्यान्वयन हेतु समग्र कार्य योजना का विकास करना।

iii. समस्त राज्यों में राज्य मिशन प्रबंधन इकाईयों की संरचना को सुनिश्चित करना।

iv. राज्यों के लिए एनयूएलएम द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करना।

v. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एनयूएलएम के घटक मानव संसाधन और वह क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण के प्रति उत्तरदायी समूह को प्रशिक्षण तथा नियोजन आदि के क्षेत्र में सहायता और उनको मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

vi. जब आवश्यक हो तब एसएमएमयू और सीएमएमयू स्टाफ हेतु आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लेना।

vii. सभी राज्यों में राज्य मिशन प्रबंधन इकाईयों के क्षमता निर्माण अथवा सुग्राहीकरण में लगी हुई संसाधन एजेंसियों को सहायता प्रदान करना। वह क्षमता निर्माण से जुड़े मॉड्यूलों के विकास का भी निरीक्षण करेगा और शिक्षण-प्रतिशिक्षण कार्यशालाओं की व्यवस्था करेगा।

viii. एसएमएमयू को आवश्यता-आधारित तकनीकी सहायता उपलब्ध करने हेतु उत्तरदायी।

ix. एनयूएलएम के स्टाफ तथा अन्य हितधारकों की क्षमताओं की सुदृढ़ता हेतु प्रासंगिक एजेंसियों/विभागों के साथ उपयुक्त सम्पर्कों की व्यवस्था करना।

x. राज्य शहरी आजीविका मिशनों द्वारा घटक मानव संसाधन और क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण से सम्बंधित रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना।

xi. एनयूएलएम के सफल क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर पदासीन अन्य मिशन प्रबंधकों के साथ घनिष्ठतापूर्वक मिलकर कार्य करना।

xii. एनयूएलएम के क्रियान्वयन हेतु निगरानी तथा राज्यों में दौरे करना और प्रेक्षण की प्रमुख टिप्पणियां प्रस्तुत करना।

xiii. मिशन निदेशक एनयूएलएम को घटक मानव संसाधन और क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण से सम्बंधित रिपोर्ट को प्रस्तुत करना।

xiv. मिशन निदेशक एनयूएलएम द्वारा सौंपे गए किसी अन्य संबंधित कार्य को करना।

(च) राष्ट्रीय मिशन प्रबंधक – संचार तथा ज्ञान प्रबंधन

i. एनयूएलएम के तहत संचार एवं ज्ञान प्रबंधन की रूपरेखा तैयार और संचालन करना।

ii. राष्ट्रीय स्तर पर संचालित सर्वोत्तम प्रयासों अथवा प्रणालियों के प्रलेखीकरण की समग्र रणनीति विकसित करना।

iii. शहरी गरीबी, आजीविका संवर्धन, कौशल उन्नयन और विभिन्न अन्य विषयाधारित सूचनाओं, वृत्त अध्ययनों, अनुसंधान प्रकाशनों, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों आदि के संग्रह का विकास।

iv. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर एनयूएलएम के सूचना तथा ज्ञान प्रबंधन से सम्बंधित दल की सहायता और मार्गदर्शन।

v. जब आवश्यक हो, तब एसएमएमयू और सीएमएमयू स्टाफ हेतु आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लेना।

vi. राज्य मिशन प्रबंधन इकाईयों को आवश्यकता-आधारित तकनीकी की सहायता प्रदान हेतु उत्तरदायी।

vii. एनयूएलएम के सफल क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर पदासीन अन्य मिशन प्रबंधकों के साथ घनिष्ठतापूर्वक मिलकर कार्य करना।

viii. एनयूएलएम का क्रियान्वयन कर रहे राज्यों में दौरे करना और प्रेक्षण की प्रमुख टिप्पणियां प्रस्तुत करना।

ix. मिशन निदेशक एनयूएलएम घटक संचार एवं ज्ञान प्रबंधन से सम्बंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

x. एनयूएलएम के मिशन निदेशक द्वारा सौंपे गए किसी भी अन्य सम्बंधित कार्य को पूरा करना।

संलग्नक II

बडे व छोटे राज्यों की सूची

क्रम	बडे राज्य	छोटे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
1	आन्ध्र प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश
2	असम	गोवा
3	बिहार	हिमाचल प्रदेश
4	छत्तीसगड	जम्मू और कश्मीर
5	गुजरात	मणिपुर
6	हरियाणा	मिजोरम
7	झारखण्ड	मेघालय
8	कर्नाटक	नागालैंड
9	केरल	सिक्किम
10	महाराष्ट्र	त्रिपुरा
11	मध्य प्रदेश	उत्तरांचल
12	उडीसा	अंडमान और निकोबार द्वीप
13	पंजाब	चंडीगड़
14	राजस्थान	दादर और नगर हवेली
15	तमिलनाडु	दमन और दीव
16	उत्तर प्रदेश	लक्ष्यद्वीप
17	पश्चिम बंगाल	पुद्दुचेरी
18	दिल्ली	

संलग्नक III

राज्य मिशन प्रबंधन इकाई स्तर पर पदासीन किए जाने वाले तकनीकी विशेषज्ञों का विस्तृत विवरण

राज्य मिशन प्रबंधन इकाईयों के अंतर्गत बडे राज्यों में 6 और छोटे राज्यों में 4 विशेषज्ञ होंगे। बडे व छोटे राज्यों की सूची **संलग्नक II** में दी गयी है तथापि राज्य कार्यक्रम हेतु आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञों की संख्या के आधार पर स्वयं अपनी सूची प्रस्तावित कर सकते हैं। एसएमएमयू स्तर पर पदों का विवरण निम्नलिखित है

क्रम	बडे राज्य (6 सदस्यीय दल)	छोटे राज्य (4 सदस्यीय दल)
1	राज्य मिशन प्रबंधक : सामाजिक संगठन तथा संस्था विकास	राज्य मिशन प्रबंधक : सामाजिक संगठन तथा अवस्थापना
2	राज्य मिशन प्रबंधक : आश्रयालय तथा सामाजिक अधोसंरचना	राज्य मिशन प्रबंधक : कौशल एवं आजीविका
3	राज्य मिशन प्रबंधक : कौशल एवं आजीविका	~~राज्य मिशन प्रबंधक : वित्तीय समावेशन और~~ सूक्ष्म उद्यम
4	राज्य मिशन प्रबंधक : वित्तीय समावेशन और सूक्ष्म उद्यम	राज्य मिशन प्रबंधक : प्रबंधन सूचना प्रणाली और निगरानी एवं मूल्यांकन
5	राज्य मिशन प्रबंधक : प्रबंधन सूचना प्रणाली और निगरानी एवं मूल्यांकन	
6	राज्य मिशन प्रबंधक : मानव संसाधन और क्षमता निर्माण	

राज्य मिशन प्रबंधन इकाइयों के पदों हेतु विचारार्थ-विषय (टीओआर)

I. कार्य-क्षेत्र

उपर्युक्त पदों पर चयनित व्यक्ति, राज्य शहरी आजीविका मिशन के निदेशक को एनयूएलएम से सम्बंधित घटकों की संकल्पना तैयार करने और उनके संचालन में सहायता प्रदान करेंगे। प्रारंभिक दो वर्षों हेतु इन पदों पर नियुक्ति संविदात्मक होगी। अनुबंध का नवीकरण हर दो वर्ष बाद कार्यनिष्पादन मूल्यांकन के आधार पर किया जायेगा। पदाधिकारी सीधे एसयूएलएम के मिशन निदेशक को रिपोर्ट करेंगे। वे राज्य में नगर स्तर पर एनयूएलएम के सम्बंधित घटक के क्रियान्वयन के प्रति उत्तरदायी टीम के साथ घनिष्ठतापूर्वक मिलकर कार्य करेंगे और उन्हें सहयोग प्रदान करेंगे। ऐसे व्यक्ति को एनयूएलएम का कार्यान्वयन कर रहे राज्य में व्यापक दौरे करने की आवश्यकता होगी। व्यक्ति को अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषा, दोनों ही में लिखने और बोलने की अच्छी समझ होनी चाहिये।

II- शैक्षिक योग्यता

क्र.सं.	स्थिति	शिक्षा और अनुभव का विवरण	क्षमताएं
1	राज्य मिशन प्रबंधक-सामाजिक संगठन और संस्था विकास	प्रबंधन/एमबीए में 2 वर्ष का पूर्ण कालिक स्नातकोत्तर डिप्लोमा अथवा 5 वर्ष के अनुभव के साथ किसी भी अन्य संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा पर्याप्त आकार एवं मात्रा के गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के साथ सामाजिक विकास में 8 वर्ष के अनुभव सहित सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक।	व्यक्ति एमएस ऑफिस में दक्ष होना चाहिए; उसे भागीदारी प्रबंधन में क्षमता; मजबूत विश्लेषणात्मक, विचारात्मक और कार्यनीतिक सोच कौशल; बड़े आकार की आयोजना करने की सक्षमता; एमआईएस देखने आदि का ज्ञान होना चाहिए। सरकारी संस्थानों में कार्य अनुभव वाले व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी।
2	राज्य मिशन प्रबंधक-आश्रय एवं सामाजिक अवसंरचना	प्रबंधन/एमबीए में 2 वर्ष का पूर्ण कालिक स्नातकोत्तर डिप्लोमा अथवा 5 वर्ष के अनुभव के साथ किसी भी अन्य संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा सामाजिक विकास और सामुदायिक अवस्थापनाओं की स्थापना/निगरानी/रखरखाव सहित गरीबी उपशमन कार्यक्रमों में आठ वर्षों के अनुभव सहित सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थानों से स्नातक।	
3	राज्य मिशन प्रबंधक-कौशल एवं आजीविका	प्रबंधन/एमबीए में 2 वर्ष का पूर्ण कालिक स्नातकोत्तर डिप्लोमा अथवा 5 वर्ष के अनुभव के साथ किसी अन्य संबंधित विषय में स्नातक अथवा पर्याप्त आकार एवं मात्रा के साथ कौशल प्रशिक्षण नियोजन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में आठ वर्ष के अनुभव सहित।	
4	राज्य मिशन प्रबंधक-वित्तीय समावेशन माइक्रो उद्यम	प्रबंधक/एमबीए में 2 वर्ष का पूर्णकालिक स्नातकोत्तर डिप्लोमा अथवा 5 वर्ष के अनुभव सहित किसी अन्य संबंधित विषय में स्नातक अथवा गरीब उपशमन कार्यक्रमों/वित्तीय संस्थाओं में क्रेडिट लिंकेजों, सामाजिक सुरक्षा एवं/अथवा माइक्रो उद्यम उन्नयन के कार्य में आठ वर्ष के अनुभव सहित सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से स्नातक।	
5	राज्य मिशन प्रबंधक-एचआर एवं क्षमताएं निर्माण	प्रबंधन/एमबीए में 2 वर्ष का पूर्णकालिक स्नातकोत्तर डिप्लोमा अथवा 5 वर्ष के अनुभव सहित किसी अन्य संबंधित विषय में स्नातक अथवा राज्य स्तरीय परियोजनाओं में कर्मचारी भर्ती, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण में आठ वर्ष के अनुभव सहित सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से स्नातक।	व्यक्ति को उपर्युक्त क्षमताओं के अतिरिक्त ग्राहक प्रबंधन में क्षमताओं; उत्तम वार्ता कौशल; बड़ी मात्रा में भर्ती कार्य देखने की सक्षमता; विषय आधारित क्षमता निर्माण कार्यनीति और मॉडयूल्स के विकास आदि का ज्ञान होना चाहिए।
6	राज्य मिशन प्रबंधक-एमआईएस एवं एमई	बड़ी विकास परियोजनाओं अधिमानतः गरीबी उपशमन परियोजना के लिए एमआईएस और एमई के डिजाइनिंग तथा कार्यान्वयन में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव सहित सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से एमसीए अथवा कम्प्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री, एमएससी (कम्प्यूटर साइंस), बीटेक (कम्प्यूटर साइंस) अथवा 2 वर्ष का पूर्ण कालिक स्नातकोत्तर डिप्लोमा।	व्यक्ति का उपर्युक्त क्षमताओं के अतिरिक्त बहुत अच्छा प्रलेखन कौशल होना चाहिए तथा उसे रिपोर्टें तयार करने; परियोजना प्रबंधन में दक्ष; डाटाबेस प्रबंधन प्रणालियों; वेबसाइट विकास और प्रबंधन में बहुत अच्छा होना चाहिए।

III. उत्तरदायित्ता के प्रमुख क्षेत्र

(क) राज्य मिशन प्रबंधक : सामाजिक संग्रहण तथा संस्था विकास

i. एनयूएलएम द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का राज्य और शहरों द्वारा पालन सुनिश्चित करना।

ii. राज्य में घटक सामाजिक संग्रहण और संस्था विकास के क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना का विकास करना।

iii. राज्य हेतु निर्धारित सामाजिक संगठन और संस्था विकास के लक्ष्यों को, यथा सामुदायिक संगठन, स्व-सहायता समूहों, उनके संघों तथा चल निधि (रेवोल्विंग फण्ड) के लिए उत्तरदायी।

iv. एनयूएलएम के तहत संसाधन संगठनों (आरओएस) की पहचान और उनका पैनल बनाना।

v. राज्य के सभी शहरों में स्व-सहायता दलों, क्षेत्र स्तरीय संघों तथा नगर स्तरीय संघों का संरचनाओं की स्थापना को सुनिश्चित करना।

vi. तकनीकी एवं क्षमता निर्माण संसाधन एजेंसियों की पहचान करना, उनके साथ नियमित विचार-विमर्श करना और उन्हें एनयूएलएम के क्रियान्वयन में लगाना।

vii. नगर मिशन प्रबंधन इकाईयों को आवश्यकता-आधारित तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।

viii. राज्य की नगर मिशन प्रबंधन इकाईयों के क्षमता निर्माण अथवा सुग्राहीकरण में लगी हुई संसाधन एजेंसियों को सहायता प्रदान करना। क्षमता निर्माण से जुड़े मॉड्यूलों के विकास का निरीक्षण करना और जब तथा जैसी आवश्यकता हो सामाजिक संगठन और सामाजिक अवस्थापना, शिक्षण-प्रतिशिक्षण आदि से सम्बंधित कार्यशालाओं की व्यवस्था करना।

ix. घटक सामाजिक संग्रहण और संस्था विकास से सम्बंधित रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना।

x. एनयूएलएम के क्रियान्वयन की प्रासंगिक एजेंसियों/विभागों के साथ उपयुक्त संपर्कों की व्यवस्था करना और उनके साथ सामाजिक संग्रहण तथा सामाजिक अधोसंरचना से सम्बंधित कार्यसूची को एकीकृत करना।

xi. एनयूएलएम के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर पदासीन अन्य मिशन प्रबंधकों के साथ घनिष्ठतापूर्वक मिलकर कार्य करना।

xii. एसयूएलएम के मिशन निदेशक द्वारा सौंपे गए किसी भी अन्य सम्बंधित कार्य को पूरा करना।

(ख) राज्य मिशन प्रबंधक : आश्रयालय तथा सामाजिक अवस्थापना

i. शहरों द्वारा एनयूएलएम द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना।

ii. राज्य में नगर आजीविका केन्द्रों के नियोजन, स्थापना और प्रचालनीकरण की व्यवस्था करना।

iii. राज्य में शहरी पथ विक्रेताओं और शहरी निराश्रितों हेतु संघटकों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना।

iv. सार्वजनिक निजी सहभागिता (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) के माध्यम से नगर आजीविका केद्रों के गठन और उनके क्रियान्वयन को बढ़ावा देने हेतु सुविधा संगठनों की पहचान करना और उन्हें सहायता प्रदान करना।

v. नगर आजीविका केन्द्रों, विक्रेता बाजारों और शहरी निराश्रितों हेतु आश्रयालयों के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय नगरीय निकायों के साथ घनिष्ठतापूर्वक मिलकर कार्य करना।

vi. नगर स्तर पर समस्त नगरीय विक्रेता विकास योजनाओं को तैयार करने और उनका प्रचालनीकरण किये जाने के कार्य को सुनिश्चित करना।

vii. नगर मिशन प्रबंधन इकाईयों को आवश्यकता-आधारित तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने हेतु उत्तरदायी।

viii. एनयूएलएम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय प्रासंगिक एजेंसियों/विभागों के साथ उपयुक्त संपर्कों की व्यवस्था करना और उनके साथ सामाजिक अवस्थापना से सम्बंधित कार्यसूची को एकीकृत करना।

ix. राज्य की नगर मिशन प्रबंधन इकाईयों के सुग्राहीकरण/क्षमता निर्माण में लगी हुई संसाधन एजेंसियों को सहायता प्रदान करना। क्षमता निर्माण से जुड़े मॉड्यूलों के विकास का पर्यवेक्षण करना और जब तथा जैसी आवश्यकता हो, सामाजिक संग्रहण और सामाजिक अवस्थापना, शिक्षण-प्रतिशिक्षण आदि से सम्बंधित कार्यशालाओं की व्यवस्था करना।

x. केआरएएस से सम्बंधित रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना।

xi. एनयूएलएम के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर पदासीन अन्य मिशन प्रबंधकों के साथ घनिष्ठतापूर्वक मिलकर कार्य करना।

xii. एसयूएलएम के मिशन निदेशक द्वारा सौंपे गए किसी भी अन्य सम्बंधित कार्य को पूरा करना।

(ग) राज्य मिशन प्रबंधक-कौशल एवं आजीविका।

i. एनयूएलएम द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का शहरों द्वारा पालन सुनिश्चित करना।

ii. राज्य हेतु घटक कौशल प्रशिक्षण और नियोजन के माध्यम से रोजगार (ईएसटी एंड पी) की कार्य सूची के लिए कार्य-सूची योजना तैयार करना।

iii. राज्य हेतु निर्धारित ईएसटी एंड पी से सम्बंधित लक्ष्यों की पूर्ति के दायित्व का निर्वाह करना।

iv. कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं और प्रत्यायन एवं प्रमाणीकरण एजेंसियों की पहचान करने और पैनल बनाने का उत्तरदायित्व।

v. इसमें शामिल कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं तथा अन्य एजेंसियों के कार्यनिष्पादन की गुणवत्ता की मानीटरिंग करना।

vi. नगरीय मिशन प्रबंधन इकाईयों को आवश्यकता आधारित तकनीकी सहायता प्रदान करना।

vii. राज्य की नगर मिशन प्रबंधन इकाइयों के क्षमता निर्माण अथवा सुग्राहीकरण में संलग्न संसाधन एजेंसियों को सहायता प्रदान करना। क्षमता निर्माण से जुड़े मॉड्यूलों के विकास का निरीक्षण करना और जब भी आवश्यकता हो, केआरएस से सम्बंधित शिक्षण-प्रतिशिक्षण कार्यशालाओं की व्यवस्था करना।

viii. औद्योगिक संगठनों, कौशल विकास मिशन, क्षेत्रीय कौशल परिषदों, सम्बंधित विभागों, संसाधन संस्थानों तथा अन्य प्रासंगिक एजेंसियों के साथ उपयुक्त संपर्क सूत्र स्थापित करना।

ix. केआरएस से सम्बंधित रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना।

x. एनयूएलएम के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर अन्य मिशन प्रबंधकों के साथ घनिष्ठतापूर्वक मिलकर कार्य करना।

xi. एसयूएलएम के मिशन निदेशक द्वारा सौंपे गए किसी भी अन्य सम्बंधित कार्य को पूरा करना।

(घ) राज्य मिशन प्रबंधक : वित्तीय समावेशन और सूक्ष्म उद्यम

i. राज्य तथा नगरों द्वारा एनयूएलएम द्वारा निर्धारित सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन और स्वरोजगार कार्यक्रम (यूएफआई एंड एसईपी) से सम्बंधित दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना।

ii. सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन और स्वरोजगार कार्यक्रम की समग्र कार्य योजना तथा कार्यसूची तैयार करना।

iii. राज्य हेतु निर्धारित सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन (यूएफआई) और स्वरोजगार कार्यक्रम (एसईपी) से जुड़े लक्ष्यों को पूर्ण करने के दायित्व का निर्वाह करना।

iv. स्व-सहायता दलों और उनके सदस्यों हेतु बैंक संपर्कों को सुनिश्चित करना।

v. शहरी गरीबों द्वारा स्थापित किये जाने वाले सूक्ष्म उद्यमों हेतु ऋण की उपलब्धता और पंहुच बनाने में मदद करना।

vi. नगर मिशन प्रबंधन इकाईयों को आवश्यकता-आधारित तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु उत्तरदायी।

vii. राज्य में अथवा राज्य में स्थित नगर मिशन प्रबंधन इकाईयों के क्षमता निर्माण अथवा सुग्राहीकरण में संलग्न संसाधन एजेंसियों को सहायता प्रदान करना। वह क्षमता निर्माण से जुड़े मॉड्यूलों के विकास का निरीक्षण करेगा और जब तथा जैसी आवश्यकता हो, शहरी गरीबी और अन्य केआरए से सम्बंधित शिक्षण-प्रतिशिक्षण कार्यशालाओं की व्यवस्था करेगा।

viii. एनयूएलएम के क्रियान्वयन में सम्बंधित एजेंसियों/विभागों के साथ उपयुक्त संपर्क स्थापित करना और सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन और स्वरोजगार कार्यक्रम (यूएफआई एंड एसईपी) से सम्बंधित कार्यसूची को उसके साथ एकीकृत करना।

ix. केआरएस से सम्बंधित रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना।

x. एनयूएलएम के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर पदासीन अन्य राज्य मिशन प्रबंधकों के साथ घनिष्ठतापूर्वक मिलकर कार्य करना।

xi. एसयूएलएम के मिशन निदेशक द्वारा सौंपे गए किसी भी सम्बंधित कार्य को पूरा करना।

(ड.) राज्य मिशन प्रबंधक : प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) और निगरानी एवं मूल्यांकन (एम एंड ई)

i. एनयूएलएम के घटकों की निगरानी हेतु समग्र कार्य योजना तैयार करना।

ii. राज्य स्तर पर प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के उपयुक्त क्रियान्वयन की सुनिश्चितता हेतु राज्यों को सुविधा उपलब्ध कराना और समस्त नगरों से प्राप्त सूचनाओं का संकलन कर उसे राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करना।

iii. योजना की वास्तविक निगरानी हेतु शहरों/स्थानीय नगरीय निकायों में क्षेत्रीय दौरे करना:

iv. राज्य स्तर पर योजना की मूलभूत प्रगति जानने हेतु स्थानीय नगरीय निकायों अथवा नगरीय मिशन प्रबंधन इकाईयों द्वारा सूचनाओं के समय पर प्रस्तुतीकरण को सुनिश्चित करना।

v. नगरीय मिशन प्रबंधन इकाईयों को आवश्यकता-आधारित तकनीकी सहायता उपलब्ध करना।

vi. राज्यों में अथवा राज्यों की नगर मिशन प्रबंधन इकाइयों को प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) और निगरानी एवं मूल्यांकन (एम एंड ई) के क्रियान्वयन से जुड़े क्षमता निर्माण हेतु सहायता प्रदान करना। प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) इत्यादि के क्षमता निर्माण से जुड़े मॉड्यूलों के विकास का भी निरीक्षण करना।

vii. समस्त निगरानी एवं रिपोर्टिंग प्रणालियों यथा बुनियादी अध्ययनों, प्रक्रियात्मक प्रलेखन, मासिक प्रगति रिपोर्टों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करना।

viii. एनयूएलएम के सफल क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर पदासीन अन्य मिशन प्रबंधकों के साथ घनिष्ठतापूर्वक मिलकर कार्य करना।

ix. एसयूएलएम के मिशन निदेशक द्वारा सौंपे गए किसी भी अन्य सम्बंधित कार्य को पूरा करना।

(य) राज्य मिशन प्रबंधक : मानव संसाधन और क्षमता निर्माण

i. एनयूएलएम द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का राज्यों एवं शहरों द्वारा पालन सुनिश्चित करना।

ii. राज्य में घटक क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के क्रियान्वयन हेतु समग्र कार्य योजना तैयार करना।

iii. राज्य हेतु निर्धारित क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण से जुड़े लक्ष्यों को पूर्ण करने का दायित्व।

iv. राज्य के समस्त शहरों में नगरीय मिशन प्रबंधन इकाईयों की स्टाफ सहित स्थापना सुनिश्चित करना।

v. तकनीकी एवं क्षमता निर्माण संसाधन एजेंसियों की पहचान करना, उनके साथ नियमित संपर्क बनाये रखना और उन्हें एनयूएलएम के हितधारकों के क्षमता निर्माण के निमित्त लगाना।

vi. सीएमएमयू को आवश्यकता आधारित तकनीकी सहायता उपलब्ध करना।

vii. राज्य में अथवा राज्य-भर में नगर मिशन प्रबंधन इकाईयों के क्षमता निर्माण अथवा सुग्राहीकरण में संलग्न संसाधन एजेंसियों को सहायता प्रदान करना। क्षमता निर्माण से जुड़े मॉड्यूलों के विकास का पर्यवेक्षण करना और जब और जैसे आवश्यकता हो, केआरएस से सम्बंधित शिक्षण-प्रतिशिक्षण कार्यशालाओं की व्यवस्था करना।

viii. एनयूएलएम के कर्मियों तथा अन्य हितधारकों की क्षमताओं को सुदृढ़ करने हेतु राज्य स्तर की प्रासंगिक एजेंसियों/विभागों के साथ (समुचित संपर्कों) की व्यवस्था करना

ix. केआरएस से सम्बंधित रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना।

x. एनयूएलएम के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर अन्य मिशन प्रबंधकों के साथ घनिष्ठतापूर्वक मिलकर कार्य करना।

xi. एसयूएलएम के मिशन निदेशक द्वारा सौंपे गए किसी भी अन्य सम्बंधित कार्य को पूरा करना।

संलग्नक IV

तकनीकी विशेषज्ञ (सलाहकारों) हेतु आदर्श अनुबंध का प्रारूप

(यह माडल संविदा तकनीकी विशेषज्ञ की संविदा करार के लिए विषय-वस्तु का विवरण देता है और निर्देशात्मक है। राज्य उन पर लागू माडल संविदा का उपयोग संशोधित कर सकते हैं।

यह अनुबंध-पत्र आज <दिनांक> को <स्थान> पर निम्नलिखित पक्षों के मध्य निष्पादित किया जा रहा है:

<संगठन का नाम>, <पंजीकरण का प्रकार एवं अधिनियम>, जिसका पंजीकृत कार्यालय <कार्यालय का पता> में है और जिसे इसके < लघु नाम > के नाम से संबोधित किया गया है और जब तक सन्दर्भ के प्रतिकूल न हो इसके अंतर्गत इसके उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, अभिकर्त्ता, अटॉर्नी और अधिन्यासी आदि भी शामिल होंगे, जो **प्रथम पक्ष** कहलायेंगे।

और

<तकनीकी विशेषज्ञ का नाम>, निवासी <पता> जिसे इसके परामर्शदाता कहा गया है, और जब तक प्रतिकूल न हो इसके अंतर्गत इसके उत्तराधिकारी, प्रतिनिधियों, प्रशासकों और अधिन्यासियों को भी शामिल समझा जायेगा, और जो द्वितीय पक्ष कहलायेंगे।

1. उद्देश्य

1.1 इस अनुबंध को निष्पादित किये जाने का उद्देश्य उन निबंधनों और शर्तों को निर्दिष्ट करना है जिसके तहत परामर्शदाता, इस अनुबंध के साथ **संलग्न परिशिष्ट III (क)** में दिए गए विचारार्थ विषयों के अनुसार सेवायें प्रदान करेगा।

2 पूर्व वार्त्ताएं तथा अन्य अनुबंध

2.1 यह अनुबंध, इस विषय से सम्बंधित दोनों पक्षों के मध्य समस्त पूर्व अभ्यावेदनों अथवा अनुबंधों चाहे वे मौखिक रहे हों या लिखित हों, क स्थान लेगा।

3 परामर्शदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवायें

3.1 <संगठन का नाम> द्वारा प्रस्तुत एवं परामर्शदाता द्वारा स्वीकृत अनुबंध की शर्तों के अंतर्गत परामर्शदाता <कार्यक्रम का नाम> हेतु एवं परियोजना और उसके प्रबंधन से सम्बंधित समय-समय पर उठने वाली समस्याओं के निमित्त **परिशिष्ट IV (क)** क में दिए गए विचारार्थ विषय में नियत बातों के अनुसार स्वतंत्र परामर्शिका एवं परामर्शी सेवाएं प्रदान करेगा।

3.2 स्थान। ये सेवायें <कार्यक्रम का नाम> के कार्यालय जो कि <स्थान> में है अथवा <रिपोर्टिंग अधिकारी-मिशन निदेशक/राज्य मिशन निदेशक/नगर परियोजना अधिकारी> द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य स्थान पर उपलब्ध कराई जायेंगी। परामर्शदाता कार्यावधि के दौरान रिपोर्टिंग अधिकारी की पूर्वानुमति से ही कार्यस्थ को किसी भी कारण से छोड कर जा सकता है।

3.3 इस अनुबंध के तहत कार्यावधि के दौरान परामर्शदाता किसी भी अन्य कंपनी, फर्म, परियोजना अथवा व्यक्ति के काम को स्वीकार नहीं करेगा और अनन्यत: निर्दिष्ट परियोजना में ही संलग्न रहेगा।

3.4 इस अनुबंध की सम्पूर्ण कार्यावधि के दौरान परामर्शदाता जब भी आवश्यक हो <रिपोर्टिंग अधिकारी> (अथवा ऐसे किसी निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों को) किसी भी यथोचित आवश्यक सेवा सम्बन्धी ऐसी लिखित अथवा मौखिक सलाह अथवा सूचना प्रदान करेगा।

4 परामर्शदाता को भुगतान

4.1 इस परियोजना को प्रदान की गई सेवाओं हेतु <संगठन का नाम> द्वारा परामर्शदाता को **परिशिष्ट IV (बी)** में दिए गए विवरण के अनुसार शुल्क का भुगतान किया जायेगा।

4.2 परामर्शदाता द्वारा व्ययनित समस्त खर्चे देय शुल्क में ही शामिल समझे जायेंगे जब तक कि इसके लिए अन्यथा विशेष प्रावधान न किया गया हो। सहमत हुए शुल्क में ही सभी विविध भुगतान शामिल होंगे, तथापि चालान/बिल में पृथकत: दर्शाये गए किसी भी कर अथवा वैधानिक करारोपण का भुगतान <संगठन का नाम> द्वारा किया जायेगा।

4.3 शुल्क का भुगतान <रिपोर्टिंग अधिकारी> की विचारार्थ विषयों की आवश्यकताओं के प्रति संतुष्टि और अनुपालन करने तथा <रिपोर्टिंग अधिकारी> की संतुष्टि होने पर आवश्यक दस्तावेजों को तैयार/प्रस्तुत करने के अधीन होगा।

4.4 परामर्शदाता को सभी भुगतान के लिए दिए गए बिलों (जो कि माह के अंत में जमा किये जायेंगे) की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर किये जायेंगे।

4.5 यदि परामर्शदाता आगे चलकर अपने दायित्वों का पालन करने में विफल रहता है तो <संगठन का नाम> इस अनुबंध के तहत परामर्शदाता को देय भुगतानों और उसके द्वारा <संगठन का नाम> को देय होने वाले भुगतान पाने का हकदार होगा।

4.6 समस्त बिल <संगठन का नाम> के नाम से जारी किये जाने चाहिए और उन पर अनुबंध संख्या उद्धृत की जानी चाहिए।

4.7 इस अनुबंध के तहत <संगठन का नाम> का वित्तीय दायित्व **परिशिष्ट 4(ख)** में नियत वित्तीय सीमा के अनुसार होगा और इसे <संगठन का नाम> के साथ पूर्व लिखित समझौते के बिना बढ़ाया नहीं जा सकता है। <संगठन का नाम> की पूर्व लिखित सहमति के बिना ऐसा कोई कार्य निष्पादित नहीं किया जायेगा जिसका परिणाम इस अनुबंध की वित्तीय सीमा को बढ़ाने वाला हो।

4.8 परामर्शदाता इस बात की जमानत देगा कि <संगठन का नाम> एक स्वतंत्र ठेकेदार है और इसलिए लागू करों के भुगतान और विधि के अनुपालन का दायित्व इसका स्वयं होगा: परामर्शदाता इस बात के लिए भी सहमति देता है कि <संगठन का नाम> द्वारा समस्त करों, किसी भी प्रकार के अन्य अंशदानों अथवा किसी भी प्रकार के स्थानीय करों जोकि <संगठन का नाम> पर देय होंगे अथवा इस अनुबंध के तहत उस पर किसी भी प्रकार के भुगतान या ब्याज, दण्ड शुल्कों अथवा सकल देय राशियों का भुगतान किया जाएगा।

5 बीमा

5.1 <संगठन का नाम> किसी भी प्रकार का बीमा सुरक्षा प्रदान करने का उत्तरदायी नहीं होगा: परामर्शदाता को इस अनुबंध को पूरा करने हेतु आवश्यक बीमा आदि की स्वयं व्यवस्था करनी होगी। विशेषत: <संगठन का नाम> के लिए यह जरूरी होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि परामर्शदाता के पास उपयुक्त जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और यात्रा बीमा अवश्य हो।

5.2 सेवाएं उपलब्ध करने वाले परामर्शदाता का अनिवार्यत: अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए और यदि उसका स्वास्थ्य निर्दिष्ट कार्य को पूरा करने हेतु पर्याप्त रूप से अच्छा नहीं है तो उसे बिना किसी विलम्ब के इस सम्बन्ध में <रिपोर्टिंग अधिकारी> को सूचित अपने स्वस्थ्य की स्थिति के संबंध में करना चाहिए।

5.3 किसी भी वाहन को चलाने से पूर्व परामर्शदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास वाहन और किसी तीसरे पक्ष की सम्बंधित देयताओं हेतु बीमा अवश्य हो।

6 परमिट तथा लाइसेंस

6.1 परामर्शदाता को अकेले ही इस अनुबंध के तहत निर्दिष्ट कार्यों के निष्पादन हेतु निर्धारित स्थान में लागू विधि और विनियमों के अनुसार आवश्यक किसी परमिट अथवा लाइसेंस स्वयं प्राप्त करने होंगे। यदि परामर्शदाता स्वयं अपनी अथवा किसी और की त्रुटि के कारण निर्दिष्ट कार्यों के निष्पादन हेतु आवश्यक परमिट अथवा लाइसेंस प्राप्त नहीं होता है तो <संगठन का नाम> बिना किसी नोटिस के परामर्शदाता की सेवाएं समाप्त कर सकता है।

7 परामर्शदाता की स्थिति

7.1 अन्यथा जब तक दिया न गया हो, परामर्शदाता, < संगठन का नाम > की तरफ से न तो कोई कार्रवाई करेगा न ही किसी तृतीय पक्ष के प्रति कोई दायित्व ग्रहण करेगा। वह < संगठन का नाम > की तरफ से न तो किसी कार्य को स्वयं करेगा न ही उसके द्वारा ऐसा कुछ करवाये जाने हेतु प्राधिकृत होने का दावा करेगा।परामर्शदाता को ऐसे किसी भी वक्तव्य और आचरण से बचना चाहिए जिससे इस सम्बन्ध में किसी तृतीय पक्ष को कोई भ्रान्ति उत्पन्न हो सकती हो।

7.2 परामर्शदाता को किसी भी ऐसे सम्बन्ध से दूर रहना चाहिए जिसके कारण उसे अपनी स्वतंत्रता अथवा निष्पक्षता से किसी प्रकार का समझौता करना पड़े, यदि परामर्शदाता ऐसी स्वतंत्रता अथवा निष्पक्षता को बनाये नहीं रख पाता है तो < संगठन का नाम > द्वारा इस कारण से <संगठन का नाम> को हुई क्षति के लिए क्षतिपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अनुबंध को तत्काल समाप्त कर सकता है:-

7.3 परामर्शदाता द्वारा उस राज्य अथवा देश में जहाँ इस अनुबंध का निष्पादन किया जाना है, वहाँ लागू समस्त नियमों और कानूनों का पालन किया जायेगा:- परामर्शदाता इन नियमों और कानूनों के उल्लंघन से उत्पन्न समस्त दावों और कार्रवाइयों के लिए <संगठन का नाम> के प्रति क्षतिपूर्ति करेगा।

7.4 परामर्शदाता को अनुबंध को निष्पादित किये जाने वाले राज्य अथवा देश की राजनैतिक सांस्कृतिक और धार्मिक परम्पराओं का आदर करना होगा।

8 सूचनाओं का प्रकटीकरण

8.1 अनुबंध के दौरान परामर्शदाता द्वारा उपयोग की जाने वाली समस्त सूचनाएं सदैव <संगठन का नाम> की सम्पत्ति मानी जायेंगी। अनुबंध को समाप्त किये जाने पर या उसके अवसान पर परामर्शदाता को अनुबंध से जुड़ी समस्त मूर्त वस्तुएं जोकि अनुबंध निष्पादन के दौरान उसके कब्जे / अधिकार में थीं, चाहे वे <संगठन का नाम> की सम्पत्ति हो या फिर अनुबंध से जुड़ी कोई सूचना, <संगठन का नाम> को तत्काल वापस करनी होंगी।

8.2 परामर्शदाता द्वारा अनुबंध के दौरान अथवा उसके बाद <संगठन का नाम> से सम्बंधित कोई भी गोपनीय सूचना प्रकट नहीं की जायेगी अथवा वह न तो इनके प्रकटीकरण या उपयोग करने का कारण बनेगा, अथवा <संगठन का नाम> के व्यापार वित्त अथवा अन्य मामलों से सम्बंधित सूचनाओं को सिवाय तबकि जबकि ऐसा करना परामर्शदाता के लिए <संगठन का नाम> के साथ किये गए अनुबंध निष्पादन हेतु आवश्यक न हो अथवा <संगठन का नाम> को सूचित किये जाने के साथ विधि द्वारा अपेक्षित न हो, प्रकटीकरण नहीं करेगा:

8.3 इस खंड के उपबंध समझौते की समाप्ति / अवसान के पश्चात भी किसी भी कारण से किसी भी समय में लागू रहेंगे:

9 बौद्धिक सम्पदा अधिकार

9.1 परामर्शदाता द्वारा <संगठन का नाम> को सेवायें प्रदान किये जाने के दौरान उत्पन्न अथवा किसी अन्य प्रकार से प्राप्त किये गए समस्त बौद्धिक सम्पदा अधिकार <संगठन का नाम> के नाम में निहित होंगे।

9.2 उपर्युक्त उपबंध की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परामर्शदाता किसी भी प्रकार के साहित्यिक कार्य अथवा अन्य पर जैसे कि डेटाबेस, सूचीकरण और संकलन, कंप्यूटर कार्यक्रमों, ध्वनि रिकार्डिंग, तथा फोटोग्राफ्स जो कि इस अनुबंध के अनुपालन के तहत तैयार किये गए हों, किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होगा: कॉपीराइट अधिनियम 1957 के तहत <संगठन का नाम> का इन पर प्रथम कॉपीराइट अधिकार होगा। परामर्शदाता एतद् द्वारा, इन कार्यों में किसी नैतिक अधिकार का परित्याग कर सकता है।

9.3 इस खंड के उपबंध करार की समाप्ति/अवसान के पश्चात भी किसी भी कारण से किसी भी समय पर लागू रहेगा।

10 अनुबंध का समापन

10.1 कोई भी पक्ष एक माह के लिखित नोटिस पर अनुबंध को समाप्त कर सकता है। <संगठन का नाम> द्वारा एक माह का नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है। यदि ऐसा करना <संगठन का नाम> की राय में वांछनीय प्रतीत होता हो, अथवा परामर्शदाता द्वारा इस अनुबंध के तहत निर्दिष्ट दायित्वों के उल्लंघन पर क्रमिक घटनाक्रम का संक्षिप्त नोटिस देकर, अथवा यदि < संगठन का नाम> ऐसी मांग करता है तो, अनुबंध को समाप्त कर सकता है।

10.2 अनुबंध समापन की दशा में:

क) इस अनुबंध के तहत देय, समस्त देय भुगतानों को स्पष्ट करने/लगाने के पश्चात समापन की तिथि तक का समस्त भुगतान किया जायेगा इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी भुगतान देय अथवा उसका भुगतान नहीं किया जायेगा।

ख) परामर्शदाता को <संगठन का नाम> के व्यापार से सम्बंधित और इस अनुबंध के तहत तैयार किये गए अथवा उपयोग किये गए समस्त दस्तावेज, कंप्यूटर डिस्कें, टेप, या अन्य वस्तुओं <संगठन का नाम> को लौटाना आवश्यक होगा।

ग) समापन की तिथि तक देय समस्त अन्य रिपोर्टों को जमा करना होगा।

11 रिपोर्टिंग

11.1 परामर्शदाता को <रिपोर्टिंग अधिकारी> द्वारा मांगी गयी सूचनाओं सहित आवधिक रिपोर्टें तैयार करनी होगी।

12 लागू विधि एवं विवादों का समाधान

12.1 यह अनुबंध सभी मामलों में भारतीय विधि द्वारा शासित होगा। सभी पक्ष इस अनुबंध के तहत उत्पन्न विवादों का समाधान सौहार्दपूर्ण तरीकों से करने का प्रयत्न करेंगे, तथापि यदि किसी प्रसंग में ऐसा करना संभव न हो तो विवादित विषय को मध्यस्थता हेतु उभयपक्षीय सहमति के अनुसार किसी एकल मध्यस्थ को भेजा जायेगा अथवा अनुबंध के तहत ऐसी किसी चूक की स्थिति में स्वयमेव <संगठन का नाम> द्वारा मध्यस्थ को नामित किया जायेगा। मध्यस्थ का निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

12.2 अनुबंध से जुडी किसी भी विषयवस्तु उसकी विवेचना, निष्पादन, उपचारों, दायित्वों, अधिकारों आदि से सम्बंधित किसी भी विवाद के निर्णयन की अधिकारिता केवल <स्थान>, भारत के न्यायालयों को होगी।

13 नोटिस/सूचना

13.1 किसी भी पक्ष द्वारा दिए आवश्यक नोटिस अथवा सूचना लिखित में दी जानी होगी और उसकी तामील व्यक्तिगत रूप से अथवा रजिस्टर्ड डाक द्वारा दूसरे पक्ष के नीचे बताये गए पते पर प्राप्त करवा कर अथवा ऐसे पते पर जो समय-समय पर एक पक्ष द्वारा दूसरे को लिखित रूप में उपलब्ध कराई गई हो, भेज कर की जाएगी और इस सम्बन्ध में डाक प्राधिकारी द्वारा जारी प्राप्ति रसीद ऐसी सूचना और उसे डाक से भेजे जाने की तारीख निश्चायक साक्ष्य होगी।

14 प्राकृतिक आपदा

14.1 इस करार के तहत कोई भी पक्ष दायित्वों के भंग अथवा व्यतिक्रम का दोषी नहीं माना जायेगा, यदि प्राकृतिक आपदा के कारण वह अनुबंध के प्रभावी होने के पश्चात अपने दायित्वों का निष्पादन करने से रह गया हो।

15 क्षतिपूर्ति/जमानत

15.1 परामर्शदाता यथोचित कौशल सावधानी और निष्ठापूर्वक इस अनुबंध का निष्पादन करेगा और अनुबंध के क्रियान्वयन के दौरान <संगठन का नाम> इसके एजेंटों तथा कर्मियों को हुए किसी भी नुकसान, क्षति अथवा इससे उत्पन्न किसी भी प्रकार के दावों हेतु <संगठन का नाम> की क्षतिपूर्ति करेगा और उसे हानि से सुरक्षित रखेगा।

16 विच्छेदनीयता

16.1 यदि इस अनुबंध के किसी खण्ड/धारा के प्रावधान किसी भी कारण से अविधिमान्य निर्णीत हो जाएँ तो उसकी अविधिमान्यता अनुबंध के अन्य खण्डों/धाराओं की विधिमान्यता और इनके लागू किये जाने पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी और ऐसे किसी भी खण्ड अथवा प्रावधान को अनुबंध से हटाया गया माना जायेगा।

17 भाषा

17.1 अन्यथा किसी सहमति के अतिरिक्त, इस अनुबंध से सम्बंधित परामर्शदाता द्वारा तैयार की गई समस्त रिपोर्टें अथवा अन्य लिखित अथवा मुद्रित सामग्री हेतु और दोनों पक्षों के मध्य समस्त पत्र-व्यवहार एवं संचार के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जायेगा।

18 संशोधन

18.1 करार के उपबंधों में किसी भी प्रकार का संशोधन अथवा अनुपूरण केवल दोनों पक्षों द्वारा अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित अनुपूरक अनुबंध के माध्यम से ही किया जा सकेगा।

18.2 यह अनुबंध <संगठन का नाम> और परामर्शदाता के मध्य एक व्यक्तिगत अनुबंध है और कोई भी पक्ष बिना दूसरे की पूर्व में लिखित सहमति के अनुबंध के तहत निर्मित अपने अधिकारों, दायित्वों अथवा हितों को न तो बेच सकता है न ही सौंप सकता है।

19 प्रभावी होने की तिथि

19.1 यह अनुबंध दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित होने के दिनांक से प्रभावी माना जायेगा।

20 विवेचना

इस अनुबंध के तहत जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो अथवा सन्दर्भ के प्रतिकूल न हो।

20.1 'बौद्धिक सम्पदा अधिकारों' के अंतर्गत भारत या विश्व में कोई भी अथवा सभी पेटेंट, पेटेंट आवेदन, ज्ञान, अपंजीकृत और पंजीकृत ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क आवेदन, व्यापारिक नाम, पंजीकृत डिजाईनों और पंजीकृत डिजाईन अधिकार,अर्धचालक स्थलाकृति अधिकार, प्रतिलिप्याधिकार, डाटा बेस अधिकार अथवा इन्हीं के समान अन्य कोई बौद्धिक या व्यावसायिक अधिकार शामिल होंगे।

20.2 <संस्था का नाम> का अर्थ कोई भी ऐसा तृतीय पक्ष जिसे किसी भी उद्देश्य हेतु नियुक्त/नियोजित/भाड़े पर रखा गया हो।

20.3 एक पक्ष के सन्दर्भ का अर्थ इस अनुबंध के पक्ष के सन्दर्भ से है और इसके अंतर्गत पक्ष द्वारा अनुमत पूरे उपक्रम के समनुदेशिती अथवा संबधित उत्तराधिकारी शामिल हैं।

20.4 संदर्भित व्यक्ति के तहत कोई भी व्यक्ति, व्यक्तिगत, कंपनी, फर्म, निगम, सरकार राज्य अथवा राज्य का संगठन अथवा कोई उपक्रम चाहे उसका कोई विधिक प्रतिनिधि हो या न हो और चाहे वह लागू विधि के अनुरूप हो या न हो, शामिल है।

20.5 किसी संविधि अथवा वैधानिक स्रोत या इसके किसी उपबंध के सन्दर्भ का निर्वचन, पुनः अधिनियमित अथवा समय-समय पर संशोधित संविधि अथवा वैधानिक स्रोत या उसके किसी प्रावधान के रूप में किया जायेगा।

20.6 ऐसे सभी शब्द/शर्तें जो एकवचन को दर्शित करते हैं उनमें बहुवचन भी सम्मिलित समझे जायेंगे। ऐसा ही ठीक इसके विपरीत सभी शब्द/शर्तें जो कि किसी एक लिंग को दर्शाते हैं, उनमें सभी लिंग शामिल समझे जायेंगे।

20.7 सभी परिशिष्ट इस समझौते का एक अभिन्न भाग होंगे। परिशिष्टों के सन्दर्भ का निर्वचन इस समझौते के सन्दर्भ के रूप में किया जायेगा।

साक्षी की उपस्थिति में यह अनुबंध पक्षकारों द्वारा विधिवत निष्पादित किया गया और इस प्रयोजन हेतु आज दिनांक को इस दस्तावेज पर उनकी सील/हस्ताक्षर अंकित किये गए।

कृते <संगठन का नाम>	कृते परामर्शदाता
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
नाम	नाम
पद	दिनांक
दिनांक	

परिशिष्ट 4 (क) - विचारार्थ विषय

प्रमुख उत्तरदायित्व

पदों हेतु प्रमुख उत्तरदायित्वों की सूची प्रदान करना

परिशिष्ट 4 (ख) - भुगतान

भुगतान, परामर्शदाता द्वारा संदर्भित शर्तों की आवश्यकतानुरूप किये गए पालन के प्रति <रिपोर्टिंग अधिकारी> अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि की संस्तुति के अधीन होगा और परामर्शदाता द्वारा किये गए कार्य दिवसों के विवरण सहित जमा किये गए बिल और मासिक रिपोर्ट (**परिशिष्ट-3**) के <रिपोर्टिंग अधिकारी> अथवा उसके प्रभारी द्वारा अनुमोदित किये जाने के अधीन होगा, <संगठन का नाम> परामर्शदाता को उसके द्वारा इस अनुबंध के निमित्त बताये गए आवश्यक समय के लिए <पारिश्रमिक मूल्य> की दर से शुल्क का भुगतान करेगा। परामर्शदाता द्वारा सेवाकर पंजीकरण संख्या उपलब्ध कराये जाने पर <संगठन का नाम> द्वारा उचित सेवाकर का भी भुगतान किया जायेगा।

शुल्क भुगतान स्रोत पर आयकर की उचित कटौती (स्रोतपर कर काटने) के अधीन होगा।

वास्तविक संचार भत्तों की प्रतिपूर्ति (रूपए की धनराशि की सीमा तक) <संगठन का नाम> द्वारा की जाएगी।

बाह्य यात्राओं (कार्यस्थल से बाहर) हेतु टी.ए./डी.ए. दिए जाने हेतु निम्नलिखित मानकों का अनुसरण किया जायेगा

<संगठन का नाम> बाह्य यात्रा में रहने-खाने की व्यवस्था करेगा अथवा भोजन और आवास के

वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति करेगा जोकि (अधिकतम <राशि> प्रतिदिन) होगा।

<संगठन का नाम> बाह्य यात्राओं हेतु <संख्या> कि.मी. तक के लिए रेल द्वारा <श्रेणी> की सुविधा प्रदान करेगा, <संख्या> कि.मी. से अधिक दूरी के लिए किसी भी राष्ट्रीय वाहक द्वारा <सामान्य वर्ग/इकनॉमी वर्ग> की हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करेगा।

सड़क मार्ग द्वारा यात्रा खर्च की प्रतिपूर्ति रुपये <मूल्य> प्रति किमी की दर से अथवा वास्तविक व्यय के आधार पर या इनमे से जो भी कम हो,उसके अनुसार की जाएगी।<संगठन का नाम> कार्यालयी उद्देश्यों से सम्बंधित स्थानीय यात्राओं हेतु केवल गैर वातानुकूलित/नॉन ए.सी. कार की सुविधा प्रदान करेगा।

प्रतिपूर्ति दावे के साथ समस्त मूल टिकट, बोर्डिंग पास, व्यय रसीदें (भाड़े पर टैक्सी लिए जाने के मामलों में समस्त शुल्क रसीदें व भुगतान बिल सहित) यथोचित आवश्यकतानुरूप <संगठन का नाम> को उपलब्ध करनी होंगी।

अवकाश

परामर्शदाता को वर्ष में <संख्या> दिनों का अवकाश प्राप्त करने का अधिकार होगा जिसमें <संख्या> का अस्वस्थता अवकाश भी शामिल होगा। ये अवकाश <संगठन का नाम> द्वारा मनाये जाने वाले राष्ट्रीय अवकाशों के अतिरिक्त होंगे।

समस्त अवकाशों हेतु <रिपोर्टिंग अधिकारी> अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि का अनुमोदन आवश्यक होगा।

अनुबंध की अवसानावधि पर अवकाशों के अग्रनयन (कैरी ओवर) का नियम लागू नहीं होगा, न लिए गए अवकाशों के एवज में कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

संलग्नक V

नगरीय मिशन प्रबंधन इकाई स्तर पर पदासीन किए जाने वाले तकनीकी विशेषज्ञों का विस्तृत विवरण

नगरीय मिशन प्रबंधन इकाईयों के अंतर्गत 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में 2 विशेषज्ञ 3-5 लाख तक की आबादी वाले शहरों में 3 विशेषज्ञ और 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 4 विशेषज्ञ होंगे। तथापि राज्य/नगर कार्यक्रम हेतु आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञों की जरूरत के अनुसार स्वयं अपनी सूची प्रस्तावित कर सकते हैं। सीएमएमयू स्तर पर पदों का विवरण निम्नलिखित है

बडे शहर (>5 लाख से अधिक जनसँख्या)	मध्यम शहर (>3<5 लाख तक जनसँख्या)	जिला मुख्यालय शहर (1 लाख से कम जनसँख्या) व छोटे शहर (>1<3 लाख तक जनसँख्या)
1 प्रबंधक-सामाजिक विकास एवं अवस्थापना 2 प्रबंधक-कौशल और आजीविका 3 प्रबंधक वित्तीय समावेशन और सूक्ष्म उद्यम 4 प्रबंधक-प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) और निगरानी एवं मूल्यांकन (एम एंड ई)	1 प्रबंधक-सामाजिक विकास एवं अवस्थापना 2 प्रबंधक कौशल और आजीविका 3 प्रबंधक-वित्तीय समावेशन और सूक्ष्म उद्यम	1 प्रबंधक-सामाजिक विकास एवं अवस्थापना 2 प्रबंधक-कौशल और सूक्ष्म उद्यम

1. नगरीय मिशन प्रबंधन इकाईयों के पदों हेतु विचारार्थ विषय

I. कार्य क्षेत्र

उपर्युक्त पदों पर चयनित व्यक्ति, नगरीय मिशन प्रबंधन इकाई के नगर परियोजना अधिकारी को नगर स्तर पर एनयूएलएम से सम्बंधित घटकों की संकल्पना तैयार करने में और उनके संचालन में सहायता प्रदान करेंगे। प्रारंभ में दो वर्षों हेतु इन पदों पर नियुक्ति संविदात्मक होगी। अनुबंध का नवीकरण हर दो वर्ष बाद कार्य-निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर किया जायेगा। पदाधिकारी सीधे नगर परियोजना अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। व्यक्ति को अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषा, दोनों ही में लिखने और बोलने का अच्छा ज्ञान होना चाहिये।

II. शैक्षिक अर्हताए, अनुभव और सक्षमताएं

क्र.सं.	स्थिति	शिक्षा और अनुभव का विवरण	क्षमताएं
1	प्रबंधक-सामाजिक विकास एवं अवसंरचना	प्रबंधन/एमबीए में 2 वर्ष का पूर्ण कालिक स्नातकोत्तर डिप्लोमा अथवा 3 वर्ष के अनुभव के साथ किसी भी अन्य संबंधित विषय में स्नातक गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के साथ सामाजिक विकास कार्य में 6 वर्ष के अनुभव सहित सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक।	व्यक्ति को एमएस ऑफिस, मजबूत विश्लेषणात्मक कौशल में दक्ष होना चाहिए; सरकारी संस्थानों में कार्य का अनुभव वाले व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी।
2	प्रबंधक-कौशल एवं आजीविका	प्रबंधन/एमबीए में 2 वर्ष का पूर्ण कालिक स्नातकोत्तर डिप्लोमा अथवा 3 वर्ष के अनुभव के साथ किसी भी अन्य संबंधित विषय में स्नातक डिग्री अथवा कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में 6 वर्षों के अनुभव सहित सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थानों से स्नातक।	
3	प्रबंधक-वित्तीय समावेशन एवं माइक्रो उद्यम	प्रबंधक/एमबीए में 2 वर्ष का पूर्णकालिक स्नातकोत्तर डिप्लोमा अथवा 3 वर्ष के अनुभव के साथ किसी अन्य संबंधित विषय में स्नातक अथवा गरीब उपशमन कार्यक्रमों/वित्तीय संस्थानों में क्रेडिट लिंकेजों, सामाजिक सुरक्षा एवं/अथवा माइक्रो उद्यम उन्नयन के कार्य में 6 वर्ष के अनुभव सहित सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से स्नातक।	
4	प्रबंधक-एमआईएस एवं एमई	बड़ी विकास परियोजनाओं अधिमानतः गरीबी उपशमन परियोजना के लिए एमआईएस और एमई के डिजाइनिंग तथा कार्यान्वयन में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव सहित सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से 2 वर्ष का पूर्ण कालिक स्नातकोत्तर डिप्लोमा/कम्प्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री, एमएससी (कम्प्यूटर साइंस), बीटेक (कम्प्यूटर साइंस)।	व्यक्ति को उपर्युक्त क्षमताओं के अतिरिक्त प्रकाशन कौशल का ज्ञान होना चाहिए। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित करने वाले व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी।

III. उत्तरदायित्व के प्रमुख क्षेत्र

(क) मिशन प्रबंधक : सामाजिक संग्रहण तथा संस्था विकास

i. एनयूएलएम द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का शहरों द्वारा पालन सुनिश्चित करना।

ii. शहर में घटक सामाजिक प्रेरणा के क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना का विकास करना।

iii. नगरों हेतु निर्धारित सामाजिक संगठन और संस्था विकास, शहरी पथ विक्रेताओं और शहरी निराश्रितों हेतु आश्रय योजना से सम्बंधित लक्ष्यों को, यथा सामुदायिक संगठन, स्व-सहायता समूहों, उनके संघों तथा चल निधि, नगर आजीविका केन्द्रों, विक्रेता विकास योजना, विक्रेता बाजारों के विकास और शहरी बेघरों आदि हेतु आश्रयालयों के सन्दर्भ में पूर्ण करने का दायित्व।

iv. शहर में स्व-सहायता दलों, क्षेत्र स्तरीय संघों तथा नगर स्तरीय संघों का संरचनात्मक गठन सुनिश्चित करना।

v. सामुदायिक संगठनकर्त्ताओं को आवश्यकता आधारित तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी।

vi. एनयूएलएम के क्रियान्वयन की प्रासंगिक एजेंसियों/विभागों के साथ यथोचित लिंकेजों की व्यवस्था करना और उनके साथ सामाजिक संग्रहण तथा सामाजिक अवस्थापना से सम्बंधित कार्य-सूची को एकीकृत करना।

vii. सामाजिक प्रेरणा और संस्था विकास से सम्बंधित रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना।

viii. एनयूएलएम के सफल क्रियान्वयन हेतु नगर स्तर पर पदासीन अन्य प्रबंधकों के साथ घनिष्ठतापूर्वक मिलकर कार्य करना।

ix. नगरीय मिशन प्रबंधन इकाई के नगर परियोजना अधिकारी द्वारा सौंपे गए किसी भी सम्बंधित कार्य को पूरा करना।

(ख) मिशन प्रबंधक कौशल एवं आजीविका

i. एनयूएलएम द्वारा ईएसटी एंड पी हेतु निर्धारित दिशा-निर्देशों का शहरों द्वारा पालन सुनिश्चित करना।

ii. शहरों हेतु ईएसटी एंड पी की कार्ययोजना और एजेंडा तैयार करना।

iii. शहरों हेतु ईएसटी एंड पी से जुड़े लक्ष्यों की पूर्ति के दायित्व का निर्वाह करना।

iv. नगर स्तर पर कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं की पहचान करना तथा कौशल प्रशिक्षण में संलग्न कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं के साथ-साथ अन्य एजेंसियों की गुणवत्ता की निगरानी सुनिश्चित करना।

v. सामुदायिक संगठनकर्त्ताओं को आवश्यकता-आधारित तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।

vi. उद्योग संघों, कौशल विकास मिशन, क्षेत्रीय कौशल परिषद, सम्बंधित विभागों, संसाधन संस्थानों, तथा अन्य प्रासंगिक एजेंसियों के साथ सम्बद्धता सुनिश्चित करना।

vii. केआरएस से सम्बंधित रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना।

viii. एनयूएलएम के सफल क्रियान्वयन हेतु नगर स्तर पर पदासीन अन्य प्रबंधकों के साथ घनिष्ठतापूर्वक मिलकर कार्य करना।

ix. नगरीय मिशन प्रबंधन इकाई के नगर परियोजना अधिकारी द्वारा सौंपे गए किसी भी सम्बंधित कार्य को पूरा करना।

(ग) प्रबंधक - वित्तीय समावेशन और सूक्ष्म उद्यम

i. नगरों द्वारा एनयूएलएम द्वारा निर्धारित 'सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन और स्वरोजगार कार्यक्रम' (यूएफआई एंड एसईपी) से सम्बंधित दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना।

ii. नगरों हेतु सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन और स्वरोजगार कार्यक्रम की समग्र कार्य योजना तथा एजेंडा तैयार करना।

iii. नगरों हेतु निर्धारित सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन (यूएफआई) और स्वरोजगार कार्यक्रम (एसईपी) से जुड़े लक्ष्यों को पूर्ण करने के दायित्व का निर्वाह करना।

iv. नगर स्तर पर स्व-सहायता दलों और उनके सदस्यों हेतु बैंक लिंकजेज सुनिश्चित करना।

v. नगर स्तर पर शहरी गरीबों द्वारा स्थापित किये जाने वाले सूक्ष्म उद्यमों हेतु ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

vi. शहरी निर्धनों द्वारा नगर स्तर पर स्थापित सूक्ष्म उद्योगों के लिए ऋण की पहुंच को सुगम बनाना।

vii. एनयूएलएम के क्रियान्वयन में सम्बंधित एजेंसियों/विभागों के साथ उपयुक्त संपर्क सूत्र स्थापित करना और सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन और स्वरोजगार कार्यक्रम से सम्बंधित एजेंडा को उसके साथ एकीकृत करना।

viii. केआरएस से सम्बंधित रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना।

ix. एनयूएलएम के सफल क्रियान्वयन हेतु नगर स्तर पर पदासीन अन्य प्रबंधकों के साथ घनिष्ठतापूर्वक मिलकर कार्य करना।

x. नगरीय मिशन प्रबंधन इकाई के नगर परियोजना अधिकारी द्वारा सौंपे गए किसी भी सम्बंधित कार्य को पूरा करना।

घ प्रबंधक - प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) और निगरानी एवं मूल्यांकन (एम एंड ई)

i. एनयूएलएम के घटकों की निगरानी हेतु समग्र कार्य योजना तैयार करना।

ii. नगर स्तर पर प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) का उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना और समस्त नगरों से प्राप्त सूचनाओं का संकलन कर उसे राज्य को प्रस्तुत करना।

iii. नगर स्तर पर योजना की वास्तविक निगरानी अथवा निरीक्षण करना।

iv. राज्य को नियमित और समय पर सूचनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

v. सामुदायिक संगठनकर्त्ताओं को आवश्यकता-आधारित तकनीकी सहायता उपलब्ध करना।

vi. नगर स्तर पर समस्त निगरानी एवं रिपोर्टिंग प्रणालियों जैसे बुनियादी अध्ययनों, प्रक्रियासंबंधी दस्तावेजों, मासिक प्रगति रिपोर्टों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करना।

vii. एनयूएलएम की सफल मानीटरिंग हेतु शहर स्तर पर पदासीन अन्य मिशन प्रबंधकों के साथ घनिष्ठतापूर्वक मिलकर कार्य करना।

viii. नगरीय मिशन प्रबंधन इकाई के नगर परियोजना अधिकारी द्वारा सौंपे गए किसी भी सम्बंधित कार्य को पूरा करना।

II. सामुदायिक संगठनकर्त्ताओं हेतु विचारार्थ विषय (टीओआर)

I. कार्य-क्षेत्र

उपर्युक्त पदों पर चयनित व्यक्ति को नगर स्तर पर कम से कम तीन हजार शहरी गरीब परिवारों को देखना होगा। इन्हें शहरी गरीबों से सीधे संवाद स्थापित करना होगा और उनकी पहुँच राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के समस्त लाभों तक बनानी होगी। प्रारंभिक दो वर्षों हेतु इन पदों पर नियुक्ति संविदात्मक होगी। अनुबंध का नवीकरण हर दो वर्ष बाद कार्य-निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर किया जायेगा। पदाधिकारी सीधे नगरीय मिशन प्रबंधन इकाई के नगर परियोजना अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। व्यक्ति को अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषा, दोनों ही में लिखने और बोलने का अच्छा ज्ञान होना चाहिये।

II. शैक्षिक एवं अनुभव विवरण।

इस पद के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता किसी भी विषय से इंटरमीडिएट (10+2) हो सकती है। तथापि, राज्य और शहर स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इस पद हेतु शैक्षिक योग्यता के मानकों को बढ़ा भी सकते हैं। अभ्यर्थी को सामाजिक विकास से जुड़े किसी सामुदायिक संगठन के साथ काम करने का कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव अवश्य होना चाहिए। यदि सामुदायिक संगठन उपर्युक्त मानकों को पूरा करते हों तो इस पद हेतु उन पर विचार किया जा सकता है। पद हेतु माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस (वर्ल्ड, एक्सेल, पॉवर पॉइंट आदि) में दक्षता अनिवार्य होगी।

III. प्रमुख दायित्व वाले क्षेत्र।

i. अपने कार्य क्षेत्र के शहरी गरीबों का सामाजिक रूप से जुटाने को सुनिश्चित करना- सीधे स्वयं के द्वारा अथवा संसाधन संगठनों के माध्यम से।

ii. समुदायों को समूहों या परिसंघों के गठन हेतु सुविधा उपलब्ध करना।

iii. अपने कार्य क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन से सम्बंधित विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु सुविधा उपलब्ध कराना।

iv. अवस्थापना, परिसंपत्तियों और सामाजिक पहलुओं से सम्बंधित समुदाय स्तरीय डेटाबेस तैयार करना और उसे नियमित रूप से समय-समय पर अद्यतन करते रहना।

v. स्व-सहायता दलों और उनके परिसंघों के साथ-साथ अक्षम लोगों की स्व- सहायता दलों की समाभिरूपी सेवाओं तक पहुँच बनाने हेतु उन्हें सहायता और सुदृढ़ता प्रदान करना।

vi. स्व-सहायता दलों और बैंकों से सम्पर्क को बढ़ावा देना।

vii. सरकारी विभागों के साथ समाभिरूपता हेतु सम्पर्क स्थापित करना।

viii. एनयूएलएम से सम्बंधित सर्वेक्षणों में सहायता प्रदान करना।

ix. सामुदायिक संविदाओं, सामुदायिक परिसम्पत्तियों के प्रचालन और रख-रखाव जैसे विकास कार्यों के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करना।

x. अच्छी पद्धतियों/प्रयासों के कार्यकरण के दस्तावेज तैयार करना।

xi. आवश्यकतानुसार सामुदायिक स्तर की बैठकों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना या उनमें शामिल होना।

xii. आवश्यकतानुसार आवधिक रिपोर्टें प्रस्तुत करना।

xiii. नगर परियोजना अधिकारी द्वारा सौंपे गए किसी भी कार्य को पूरा करना।

संलग्नक VI

राष्ट्रीय, राज्य और नगर स्तर पर मिशन प्रबंधन इकाई के गठन हेतु एजेंसी के चयन करने की रूपरेखा:

(यह ढांचा प्रस्तुत करता है कि किसी एजेंसी को राष्ट्रीय, राज्य और शहरी स्तरों पर मिशन प्रबंधन यूनिटों को स्थापित करने के लिए कैसे लगाया जा सकता है और यह निदर्शी है। राज्य उन पर लागू ढांचे का उपयोग/संशोधित कर सकते हैं।

I. पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जो आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है, का उद्देश्य गरीबों की सुदृढ़ आधारभूत बुनियादी संस्थाओं के माध्यम से शहरी गरीब परिवारों की गरीबी एवं विषमताओं को लाभकारी स्वरोजगारों तथा कुशल पारिश्रमिक रोजगार के अवसरों तक उनकी पहुँच को सुलभ बनाकर उनकी आजीविका में उल्लेखनीय स्थाई सुधार करना है। एन.यू.एल.एम द्वारा अपनाई जाने वाली महत्वपूर्ण कार्यनीतियों के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे:

i. उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ते बाजारों द्वारा उपलब्ध कराये गए रोजगार अवसरों तक पहुँच हेतु कौशल निर्माण।

ii. शहरी गरीबों को (पथ विक्रेताओं सहित) एकल और सामूहिक सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना हेतु प्रशिक्षण एवं सहायता।

iii. शहरी गरीबों और उनकी संस्थाओं (जैसे कि स्व-सहायता दलों और उनकी संस्थाओं) सहित आजीविका विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में शामिल तंत्र की क्षमता बनाना:

iv. शहरी बेघर जनसँख्या हेतु 24 घंटे खुले रहने वाले आश्रयालयों की उपलब्धता एवं उन तक उनकी पहुँच सुनिश्चित करना।

v. शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता

कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु एनयूएलएम की एक त्रिस्तरीय (राष्ट्रीय, राज्य व नगर स्तर पर) अन्योनाश्रित व्यवस्था होगी। राष्ट्रीय स्तर पर एनयूएलएम की अध्यक्षता मिशन निदेशक द्वारा की जायेगी, राज्य शहरी आजीविका मिशन की अध्यक्षता राज्य मिशन निदेशक द्वारा और नगर स्तर पर इसकी अध्यक्षता नगर परियोजना अधिकारी द्वारा की जायेगी। एनयूएलएम के ये तीनों स्तर एक दूसरे से निकट सम्बद्ध होंगे और गरीबों की स्थायी आजीविका संवर्धन के एक ऐसे सामान्य उद्देश्य से निर्देशित होंगे जिसका लक्ष्य शहरी गरीबी का उन्मूलन एवं शहरी गरीबों का सशक्तिकरण करना होगा।

इसी उद्देश्य से एनयूएलएम नगर, राज्य व राष्ट्र स्तर पर मिशन की समस्त गतिविधियों के प्रबंधन व सहयोग हेतु सक्षम पेशेवर और समर्पित कार्यान्वयन दल/टीम युक्त संरचना को बढ़ावा दिए जाने पर जोर देता है।

एनयूएलएम के सभी घटकों के मुख्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु सहायक सेवाएं प्रदान करने के लिए एनयूएलएम के अंतर्गत किसी ऐसी एजेंसी अथवा संस्था को नियुक्त किया जा सकता है जो राष्ट्रीय, राज्य व नगर स्तर पर राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन इकाई/राज्य मिशन प्रबंधन इकाई/नगरीय मिशन प्रबंधन इकाई की भूमिका निभा सके। ऐसी एजेंसियों को नियुक्त किये जाने से इन स्तरों पर मिशन को सहायता उपलब्ध कराने हेतु लोगों की सेवाएं भाड़े पर लेने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी।

II. कार्य क्षेत्र

1. प्रबंधन एजेंसी, एमएमयू के लिए आवश्यक, उपयुक्त एवं योग्य मानव बल उपलब्ध कराने हेतु उत्तरदायी होगी।

2. प्रबंधन एजेंसी द्वारा एमएमयू के लिए उपलब्ध कराया गया मानव शक्ति पूर्णकालिक समर्पित स्टाफ होगा। गुणवत्ता की सुनिश्चितता के लिए एजेंसी एक ऐसी विशिष्ट मानव संसाधन नीति का विकास और पालन करेगी जिसमें तैनात किये गए मानव बल के प्रबंधन सम्बन्धी मानक और दिशा-निर्देश होंगे। एमएमयू हेतु उपलब्ध कराई गई मानव शक्ति सेवा आवश्यकतानुरूप होनी चाहिए।

3. एजेंसी द्वारा तैनात किये जाने वाले कर्मियों की संरचना एमएमयू के मानक कार्यों के अनुरूप होना चाहिए जैसाकि एनयूएलएम के क्षमता संवर्धन तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी दिशा-निर्देशों में दिया गया है।

4. एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का चयन किया जाये जो अर्हता सम्बन्धी मानक पूर्ण करते हों। किसी भी दशा में चयन एवं भर्ती प्रक्रिया को शिथिल नहीं किया जाना चाहिये।

5. एजेंसी ये सुनिश्चित करेगी कि यदि टीम/समूह का कोई सदस्य अवकाश पर अथवा इसे छोड़ कर चला जाये तो कम से कम संभव समय में उसका स्थानापन्न उपलब्ध करा दिया जाये।

6. एजेंसी भर्ती सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया का प्रबंध करेगी जैसेकि विज्ञापन प्रकाशित करवाना, प्रस्ताव निवेदन (आरएफपीएस) जारी करना आदि। तथापि अभ्यर्थियों का मूल्यांकन और अंतिम चयन राज्य शहरी आजीविका मिशन द्वारा ही किया जायेगा।

7. इस कार्य की निगरानी एवं रिपोर्टिंग सम्बन्धी समस्त पहलुओं का नियंत्रण व पर्यवेक्षण राज्य मिशन निदेशक द्वारा किया जायेगा।

8. एजेंसी को अपनी कार्य योजना सहित मानव बल की तैनाती के लिए राज्य मिशन निदेशक की त्रैमासिक आधार पर अनुमति लेनी होगी।

III. एजेंसी का चयन

चयन हेतु गुणवत्ता एवं लागत आधारित चयन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। प्रबंधन एजेंसी को प्रस्ताव के साथ ही आरपीएफ में वर्णित मूल्यांकन मानकों को पूर्ण करने वाले तकनीकी प्रस्ताव के साथ-साथ वित्तीय प्रस्ताव भी प्रस्तुत करना होगा।

IV. रिपोर्टिंग

प्रबंधन एजेंसी समस्त उद्देश्यों हेतु राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के राज्य मिशन निदेशक, भारत सरकार को अथवा उसके नामिती को रिपोर्ट करेगी।

V. कार्यावधि

यद्यपि पूरे कार्य की समयावधि 3 वर्ष परिकल्पित की गयी है तथापि चयन के पश्चात एजेंसी के साथ प्रारम्भ में 12 माह की ही संविदा की जाएगी। एजेंसी के वार्षिक कार्य-निष्पादन और उपलब्ध बजट के आधार पर अनुबंध को आपसी सहमति के आधार पर अगले 12 माह हेतु बढाया जा सकेगा।

VI. अर्हता मानक

१. एजेंसी को शहरी गरीबी उपशमन के क्षेत्र में समान सेवायें प्रदान करने का कम से कम 8 वर्ष का अनुभव होना चाहिये।

२. एजेंसी को राष्ट्रीय व राज्य दोनों स्तरों पर नेतृत्व एवं प्रचालनात्मक स्तर पर पेशेवरों की कार्यनीतिक भर्ती का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

३. एजेंसी द्वारा पिछले 5 वर्षों में कम से कम 3 बड़ी राष्ट्रीय / राज्य स्तरीय सरकारी परियोजनाओं को कार्यक्रम प्रबंधन प्रणाली, जिसमें प्रत्ययी गारंटी व्यवस्था भी शामिल रही हो, में सहायता प्रदान की गयी हो।

वांछनीय

1. ऐसी प्रमुख एजेंसी, जो शहरी गरीबी, योजना प्रबंधन, कार्यनीतिक भर्ती और पेशेवरों की तैनाती जैसे विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक अनुभव रखने वाली एजेंसियों को साथ मिलाकर एजेंसियों का परिसंघ (कंसोर्टियम) बना सके, उसे प्राथमिकता दी जाएगी।

सेवाओं का विवरण

2. मानव संसाधन एजेंसी के प्रमुख कर्मियों का विवरण (अपेक्षित मुख्य सदस्यों का निदर्शी दल)

क्रम सं.	मुख्य सदस्य	वांछित प्रोफाइल

3. बोली के समय पर विशेषज्ञों और आवश्यक पदों हेतु कम से कम 4 व्यक्तियों/पदों का प्रोफाइल

पद	स्तर	अपेक्षित मुख्य शैक्षिक योग्यता	आवश्यक अनुभव

संलग्नक VII

राष्ट्रीय राज्य व नगर स्तर पर मिशन प्रबंधन इकाईयों हेतु प्रशिक्षण एवं अन्य क्षमता निर्माण सम्बन्धी सहायता उपलब्ध कराने वाली प्रशिक्षण एजेंसियों को नियुक्त किये जाने की रूपरेखा।

(ये केवल सामान्य संकेत/निर्देश हैं कि किस प्रकार राष्ट्रीय राज्य व नगर स्तर पर मिशन प्रबंधन इकाईयों के क्षमता बनाने हेतु राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन/राज्य शहरी आजीविका मिशन द्वारा एजेंसियों को कैसे नियुक्त किया जा सकता है। राज्य उन पर यथा लागू ढांचे का उपयोग/संशोधित कर सकते हैं।

(क) पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जोकि आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है, का उद्देश्य गरीबों की सुदृढ़ आधारभूत बुनियादी संस्थाओं के माध्यम से शहरी गरीब परिवारों की गरीबी एवं विषमताओं को लाभकारी स्वरोजगारों तथा कुशल पारिश्रमिक रोजगार के अवसरों तक उनकी पहुँच को सुलभ बनाकर उनकी आजीविका में स्थाई रूप से उल्लेखनीय सुधार करना है। एनयूएलएम द्वारा अपनाई जाने वाली रणनीति के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्यनीतियां इस प्रकार हैं:

i. उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ते हुए बाजारों द्वारा उपलब्ध कराये गए रोजगार अवसरों तक पहुँच हेतु कौशल निर्माण।

ii. शहरी गरीबों को (पथ विक्रेताओं सहित) एकल और सामूहिक सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना हेतु प्रशिक्षण एवं सहायता।

iii. शहरी गरीबों और उनकी संस्थाओं (जैसे कि स्व-सहायता दलों और उनके परिसंघों) सहित आजीविका विकास और गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में शामिल तंत्र की क्षमता बनाना।

iv. शहरी बेघर लोगों हेतु 24 घंटे खुले रहने वाले आश्रयालयों की उपलब्धता एवं पहुँच सुनिश्चित करना।

v. शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता।

कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु एनयूएलएम की एक त्रिस्तरीय (राष्ट्रीय, राज्य व नगर स्तर पर) अन्योनाश्रित व्यवस्था होगी। राष्ट्रीय स्तर पर एनयूएलएम का नेतृत्व मिशन निदेशक द्वारा किया जायेगा, राज्य शहरी आजीविका मिशन का नेतृत्व राज्य मिशन निदेशक द्वारा और नगर स्तर पर इसका नेतृत्व नगर परियोजना अधिकारी द्वारा किया जायेगा। एनयूएलएम के ये तीनों स्तर एक दूसरे से निकट सम्बद्ध होंगे और गरीबों की स्थायी आजीविका संवर्धन के एक ऐसे सामान्य उद्देश्य से निर्देशित होंगे जिसका लक्ष्य शहरी गरीबी का उन्मूलन एवं शहरी गरीबों का सशक्तिकरण करना होगा।

राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन इकाई एनयूएलएम का क्रियान्वयन करने वाले हाथ के रूप में कार्य करेगा। एनयूएलएम का कार्य पर्याप्त स्टाफ युक्त, राज्य मिशन प्रबंधन इकाईयों और नगरीय मिशन प्रबंधन इकाइयों को स्थापित करने में सहयोग प्रदान करना, इनके परिप्रेक्ष्य में योजनाओं को तैयार करना (राज्य शहरी गरीबी उपशमन रणनीति तथा शहरी आजीविका विकास योजना), एनयूएलएम के तहत दिशा-निर्देशों को तैयार करना, अन्य मिशनों/मंत्रालयों/ विभागों/ उद्योग संघों के साथ संपर्क स्थापित कर राष्ट्रीय/राज्य/नगर स्तर पर समाभिरूपता के नए क्षेत्रों की खोज करना, शहरी गरीबों की आजीविकओं की संभावनाओं का पता-लगाना और उसके लिए भागीदारी की सुविधा उपलब्ध कराना, सर्वोत्तम पद्धतियों का अध्ययन करना और सूचनाओं का प्रसार करना, क्षमता बनाना और प्रशिक्षण मॉड्यूलों का विकास करना, एनयूएलएम की गतिविधियों की निगरानी/मूल्यांकन तथा सामाजिक लेखा परीक्षा करवाना और संसाधन केन्द्रों के राष्ट्र व्यापी जाल/नेटवर्क के साथ घनिष्ठतापूर्वक कार्य करते हुए राज्यों/शहरों की क्षमता बनाने हेतु आवश्यक सहायता की उपलब्धता को सुनिश्चित करना होगा।

राज्य शहरी आजीविका मिशन नगर स्तर पर एनयूएलएम की गतिविधियों के क्रियान्वयन का नगरीय मिशन प्रबंधन इकाईयों के माध्यम से निरीक्षण करेगा। एसयूएलएम राज्य शहरी गरीबी न्यूनीकरण कार्यनीति/आजीविका संवर्धन योजना तैयार करेगा, शहरी आजीविका विकास योजना को तैयार करने में सहयोग प्रदान करेगा और नगर स्तर पर मिशन की गतिविधियों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा। नगरीय शहरी इकाईयों का संगठनात्मक एवं तकनीकी मामलों में मार्ग-दर्शन करेगा, राज्य स्तरीय कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन कार्यक्रम आयोजित करेगा, राज्य में मिशन को बढ़ावा देने हेतु संसाधन केन्द्रों के सहयोग से क्षमता निर्माण गतिविधियों, कार्यशालाओं, गोष्ठियों और शिक्षण प्रतिशिक्षण दौरों (क्रॉस लर्निंग विजिट्स) का आयोजन करेगा तथा योजना के क्रियान्वयन और सर्वोत्तम पद्धतियों की प्रगति और प्रक्रिया के दस्तावेज तैयार करेगा। इसके अतिरिक्त, यह एनयूएलएम की गतिविधियों का समवर्ती आवधिक मूल्यांकन और सामाजिक लेखा परीक्षा भी करता है।

2011 की जनगणना के अनुसार 1 लाख या अधिक की आबादी वाले प्रत्येक शहर में और 1 लाख से कम आबादी वाले सभी जिला मुख्यालय शहरों में नगरीय मिशन प्रबंधन इकाईयों की स्थापना की जाएगी और स्थानीय नगरीय निकाय नगर स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु सहयोग प्रदान करेंगे।

मिशन प्रबंधन इकाईयों की क्षमता बनाने के कार्य को सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन/राज्य शहरी आजीविका मिशन प्रशिक्षण एजेंसियों की सेवाएं लेंगे। मिशन प्रबंधन इकाईयों की क्षमता बनाने के निमित्त निम्नलिखित एजेंसियों को प्रशिक्षण एजेंसी के रूप में विचार किया जा सकता है:

i. हूपा मंत्रालय से सम्बद्ध राष्ट्रीय संसाधन केंद्रों (एनआरसीएस) का पैनल बनाना।

ii. राज्य तथा जिला स्तर पर क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान।

iii. कोई भी अन्य प्रशिक्षण संस्थान जो सरकार द्वारा स्थापित किया गया हो या सरकार द्वारा मान्यता-प्राप्त हो।

(ख) प्रशिक्षण संस्थानों को लगाए जाने के मानदंड

1. चयनित प्रशिक्षण एजेंसियाँ, विभिन्न स्तरों यथा राष्ट्रीय, राज्य तथा नगर स्तर पर एनयूएलएम के क्रियान्वयन में संलग्न सरकारी अधिकारियों को और राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन इकाई, राज्य मिशन

प्रबंधन इकाई तथा नगरीय मिशन प्रबंधन इकाई स्तर पर तैनात टीमों/दलों को क्षमता बनाने के निवेश (जानकारी) उपलब्ध कराएँगे। ये निवेश निम्नलिखित विषयक क्षेत्रों को कवर करेंगे किन्तु ये मात्र इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे

i. गरीबी उपशमन रूपरेखा, कार्यक्षेत्र व संभावनायें।

ii. सामाजिक संगठन स्व-सहायता दलों और उनके परिसंघों का गठन, कामकाज और प्रबंधन।

iii. सम्बद्ध विभागों व सरकारी योजनाओं के साथ समाभिरूपता।

iv. वित्तीय समावेशन तथा सामाजिक सुरक्षा।

v. कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार।

vi. नगर आजीविका केन्द्रों का संचालन एवं प्रबंधन।

vii. शहरी बेघरों के आश्रयालयों का कार्यकरण एवं प्रबंधन।

viii. पथ विक्रेताओं हेतु विक्रय बाजारों का निर्धारण।

ix. प्रशिक्षण मॉड्यूलों का विकास।

x. शहरी गरीबों हेतु उद्यमिता को बढ़ावा देना।

xi. सहभागितापूर्ण नियोजन एवं मूल्यांकन।

xii. समूह निर्माण एवं प्रबंधन।

xiii. कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन।

xiv. राज्यों में/शहरों में उनके आस-पास चलने वाली सर्वोत्तम पद्धतियों से विषय-परिचायन भ्रमण:

2. प्रशिक्षण की अवधि 2 दिनों के अभिविन्यास प्रशिक्षण से लेकर 7 दिनों तक की गहन प्रशिक्षण वाली हो सकती है जो कि प्रतिभागियों के प्रकार और दिए जाने वाले ज्ञान के स्तर पर निर्भर होगी। इसके तहत कक्षीय प्रशिक्षण, विषय के क्षेत्रों के बारे में विषय परिचायन-भ्रमण, शिक्षण-भ्रमण आदि शामिल होंगे।

(ग) प्रशिक्षण एजेंसियों को लगाने हेतु मानदंड

1. विधिक आवश्यकताओं के अनुसार संभावित प्रशिक्षण संगठन एक पंजीकृत निकाय होना चाहिये।

2. सभी संभावित प्रशिक्षण एजेंसियों को अपने लेखा अभिलेख अनुरक्षित करने चाहिए और आय-व्यय के वार्षिक विवरणों का यथोचित रूप से लेखा परीक्षित विवरण देना होगा।

3. प्रशिक्षण एजेंसी को विभिन्न हितधारकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिये।

4. संभावित प्रशिक्षण एजेंसी के पास न्यूनतम 5 पूर्णकालिक संसाधन दल के सदस्य क्षमता बनाने के प्रयोजन हेतु उपलब्ध होने चाहिए।
5. प्रशिक्षण एजेंसियों का कार्य क्षेत्र प्रशिक्षण एजेंसियों को दिए जाने वाले क्षेत्र की कवरेज और प्रशिक्षणों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर पर एनयूएलएम/एसयूएलएम द्वारा किया जायेगा।

(घ) प्रशिक्षण एजेंसियों का कार्य - क्षेत्र

1. मिशन प्रबंधन इकाई के दलों के क्षमता निर्माण हेतु एनयूएलएम अथवा एस.यू.एल.एम. द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार करना
2. आवश्यक प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना।
3. उपयुक्त अवस्थापना सहित प्रशिक्षण स्थल को अन्तिम रूप देना।
4. प्रशिक्षण प्रारंभ किये जाने से पूर्व सभी मिशन प्रबंधन इकाईयों को अग्रिम सूचना प्रदान करना:
5. प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
6. आयोजित प्रशिक्षण की विस्तृत रिपोर्ट बनाना।

(ड) प्रशिक्षण एजेंसियों का वित्त-पोषण:

एजेंसियों द्वारा प्रति प्रशिक्षु औसतन 7500 रुपये का उपयोग किया जा सकता है: प्रशिक्षण एजेंसियों को निम्नलिखित रूप से किश्तें प्रदान की जा सकती हैं:

1. प्रथम किश्त - 20 प्रतिशत-एजेंसी के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के पश्चात्।
2. द्वितीय किश्त - 30 प्रतिशत-प्रशिक्षण कैलेंडर और तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात्।
3. तृतीय एवं अन्य किश्तें - प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात्।

(च) प्रशिक्षण एजेंसियों की मानीटरिंग और उनका मूल्यांकन।

एनयूएलएम/एसयूएलएम, प्रशिक्षण एजेंसियों द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता और उनकी प्रगति की मानीटरिंग हेतु विभिन्न तरीकों का विकास करेंगे, जिनमें ये शामिल हो सकते हैं:-

1. प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षण एजेंसियों द्वारा रिपोर्ट जमा करना।
2. प्रशिक्षण एजेंसियों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यशालाओं की एनयूएलएम/एसयूएलएम के प्रमुख अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जाँच एवं निरीक्षण करना।
3. प्रशिक्षुओं द्वारा प्रतिपुष्टि (फीडबैक) प्राप्त करना।
4. आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों और उनके प्रभाव का तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन।